मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
'वन भवन', ब्लाक–ए, मुख्य मार्ग क्रं. 2, भोपाल – 462003
दूरभाष– 2674349, 2760585 फैक्स – 2552628
e-mail : mpmfpit@gmail.com
www.mfpfederation.org

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2026)–I दिनांक 05.12.2025

वर्ष 2026 में मध्यप्रदेश में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु ऑनलाइन निविदा सूचना

प्राक्कथन

चूंकि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (जिसे इसके पश्चात् संघ कहा गया है) द्वारा राज्य शासन के आदेशानुसार शासकीय भूमियों, वनों तथा निजी भूमियों से विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लाये गये तेंदूपत्ते को विभिन्न संग्रहण केन्द्रों (फड़ों) पर संग्रहित किया जाना है ।

अतएव अब संघ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त तेंदूपत्ते के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है ।

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश

परिशिष्ट–I (निबंधन एवं शर्तें)

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो **परिशिष्ट–I** में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि

अनुसूची –अ, ब (तेंदूपत्ता की लाट एवं फड़सूची)

इस सूचना के साथ संलग्न समितियां अनुसूची (अ) में दर्शित विभिन्न समितियों द्वारा संग्रहित/क्रय किये जाने वाले तेंदूपत्ते के लाटों के क्रय के लिये **दिनांक 31.03. 2027** को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

4. निविदा पत्र आदि

परिशिष्ट–II (निविदा पत्र)

(I) निविदा पत्र (परिशिष्ट–II से संबंधित फार्म 1, 2 एवं 3) तथा निविदाकार का करारनामा (परिशिष्ट–III) मय परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा ऑन लाइन पोर्टल https://mfpfederation.abcprocure.com से डाइनलोड किये जा सकते हैं ।

परिशिष्ट–III (निविदाकार का करारनामा)

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है ।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण

परिशिष्ट–XII (Instructions for the Submission ot the Online Tender)

(I) उन सभी निविदाकारों को, जिन्हें स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आवंटित किया गया है एवं इस स्थाई निविदाकार क्रमांक की सूचना उनको क्रेता नियुक्ति आदेश/सत्यंकार राशि वापसी पत्र के द्वारा दी गई थी, आवंटित स्थाई निविदाकार क्रमांक निविदा पत्र (परिशिष्ट II) के फार्म नंबर 1 के क्रमांक 1 में अंकित करना होगा । जिन निविदाकारों को स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) आवंटित नहीं हुआ है, उनको स्थाई निविदाकार क्रमांक हेतु आवंटित स्थान पर आवंटित नहीं (Not Alloted) अंकित करना होगा ।

(II) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार निविदाकार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) एवं माल एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत पंजीयन कमांक निविदा पत्र में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड एवं माल एवं सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) की स्कैन (Scan) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(III) निविदाकारों को आनलाइन निविदायें भरने हेतु विस्तृत अनुदेश (परिशिष्ट XII) तथा विस्तृत Manual ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल https://mfpfederation.abcprocure.com में उपलब्ध होगा तथा आनलाइन निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट XIII) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार प्रस्तुत की जावेंगी ।

6. निविदाओं का खोला जाना

परिशिष्ट–XIII (Time Schedule)

प्राप्त निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट XIII) में अंकित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेंगी ।

7. केता करारनामा का निष्पादन

परिशिष्ट–IX (निविदाकारवार आवंटित लाटों की सूची)

(I) निविदा में लिये गये निर्णय अनुसार सफल निविदाकारों को आवंटित लाटों की सूची संघ की वेबसाईट पर परिशिष्ट–IX में उपलब्ध रहेंगी। सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की वेबसाईट www.mfpfederation.com पर कमशः परिशिष्ट–X एवं परिशिष्ट– XI में उपलब्ध रहेंगी। सफल निविदाकार का प्रस्ताव पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित तेन्दूपत्ते के लाट के कय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का केता माना जावेगा ।

परिशिष्ट–X (सफल निविदाकारों की सूची)

परिशिष्ट–XI (असफल निविदाकारों की सूची)

परिशिष्ट–IV (केता का करारनामा)

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट (IV) (केता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा संबंधित वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । निविदाकार के द्वारा रु 5000/– बतौर फीस एवं उस पर देयकर की राशि जमा किये जाने पर इस अवधि में वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । वृत्त के मुख्य वन संरक्षक हेतु निर्धारित 7 दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत निविदाकार के द्वारा रु 5000/– बतौर फीस एवं उस पर देयकर की राशि अतिरिक्त जमा किये जाने पर प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 15 दिन का अतिरिक्त समय और दिया जा सकेगा । यदि केता द्वारा वन वृत्त कार्यालय में 7 दिन की अवधि वृद्धि हेतु रु 5000/– रुपये बतौर फीस जमा नहीं किये गये है एवं उसके द्वारा उपरोक्तानुसार 15 दिवस की अतिरिक्त अवधि हेतु अनुरोध किया जाता है तो उसे रूपये 10000/– बतौर फीस एवं उस पर देयकर की राशि जमा करना होगा । इस प्रकार 30वां दिन/7वां दिन/15वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा । 30 दिन/7 दिन/15 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय /मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) उपरोक्त कंडिका 7(II) में दर्शित अवधि/अतिरिक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 8% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे क्रेता करारनामे की शर्त 7(I) के अंतर्गत वसूल की जावेगी । ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, साथ ही राशि वसूली हेतु अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी । परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है, तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

8. देय राशि का भुगतान

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगा । प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा इन तिथियों में आवश्यकतानुसार परिर्वतन भी किया जा सकता है ।

किश्त क्रमांक	तिथि
प्रथम	01.10.2026
द्वितीय	16.11.2026
तृतीय	31.12.2026
चतुर्थ	13.02.2027

(ब) सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 1% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 99% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि प्रथम किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो इस उपकंडिका के प्रयोजन हेतु प्रथम किश्त की देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी । क्रेता द्वारा 30 अप्रैल तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित जमा करने पर उसे 30 अप्रैल तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित राशि के 2% की राशि की छूट उपलब्ध होगी तथा यदि वास्तविक संग्रहण के आधार पर देय अतिरिक्त क्रय मूल्य की राशि बनती है तो उस राशि पर भी 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । परन्तु देय समस्त करों का भुगतान संपूर्ण क्रय मूल्य के आधार पर करेगा ।वास्तविक संग्रहण अधिसूचित मात्रा से कम रहने की स्थिति में भी 30 अप्रैल तक जमा कराई गई लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की राशि के आधार पर दो प्रतिशत की राशि की छूट उपलब्ध रहेगी ।

परिशिष्ट–V

9. पत्तों का परिदान एवं प्रतिभूति निक्षेप

(I) किश्त/किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिदान परिशिष्ट–I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

(II) यदि क्रेता सत्यंकार की राशि जिस हद तक उपलब्ध है, समायोजन के पश्चात प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि या 5% राशि के विरूद्ध बैंक गारंटी की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह ऐसी बैंक गारंटी परिशिष्ट –V में दिये गये प्रपत्र में होगी ।

10. परिशिष्ट

परिशिष्ट–I, III से XIV जिनका संबंध इस निविदा सूचना से है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है एवं उनको संदर्भ के लिये देखें ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. हानि की राशि की गणना

क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी –

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का समस्त व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(डॉ समीता राजोरा)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल– 462003

परिशिष्ट– I
निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश, जो निविदा सूचना क्रमांक ते.प. (2026)- I दिनांक 05.12.2025 के भाग हैं

निविदा के निबंधन व शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं । ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे ।

1. परिभाषाएं –

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) **"अधिनियम"** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत मध्य प्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं ।

(ii) **"अभिकर्ता"** से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंर्तगत नियुक्त अभिकर्ता से है ।

(iii) **"देय राशि"** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर, ब्याज आदि के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी ।

(iv) **"परिशिष्ट"** से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है ।

(v) **"बकाया"** से अभिप्रेत है, निविदाकार के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग अथवा "संघ" को शोध्य है और जिसकी सूचना निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तारीख के पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक/E-mail द्वारा भेजी गई हो,

(vi) **"संग्रहणकाल"** से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल से जुलाई तक की अवधि से है,

(vii) **" मुख्य वन संरक्षक"** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय वन वृत्त के प्रभार में रहने वाले मुख्य वन संरक्षक/भार साधक अधिकारी से है, जो संघ के पदेन महाप्रबंधक भी घोषित है,

(viii) **"जिला यूनियन"** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(ix) **" वन मंडलाधिकारी "** से तात्पर्य संबंधित सामान्य वन मण्डल के प्रभारी वन संरक्षक/वन मंडलाधिकारी/भार साधक अधिकारी से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(x) **"संघ"** से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल से है।

(xi) **"शासन"** से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है,

(xii) **"लाट"** से अभिप्रेत है, अनुसूची–अ में वर्णित किसी प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति(यों)/वन विभाग द्वारा संग्रहित होने वाला तेंदू पत्ता ।

(xiii) **"नियमावली"** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 एवं समय–समय पर यथा संशोधन से है ।

(xiv) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो ।

(xv) **"क्रय क्षमता"** से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त. 5 (IV) तथा 6 (II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो ।

(xvi) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो तेंदूपत्ता लाटों की मानक बोरा में संग्रहित मात्रा को नीचे (xvii) में परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(xvii) **"क्रय दर"** से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति मानक बोरा निविदा दर से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो ।

(xviii) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी/भार साधक अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

(xix) **"देय कर"** से तात्पर्य लाट के पत्तों के क्रय मूल्य पर समय–समय पर प्रवृत्त देय माल एवं सेवा कर, व अन्य सभी कर/उपकर आदि से है,

(xx) **"निविदा दर"** से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (जिसमें देय माल एवं सेवा तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो निविदाकार विभिन्न लाटों के तेंदूपत्ता के क्रय के लिए परिशिष्ट– II के Form II में दिए गए निविदा पत्र (On line) में अलग–अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा ।

(xxi) **"निविदाकार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेंदूपत्ता क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे ।

(xxii) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. **इकाईयों का विवरण –**

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिनमें से संग्रहण किया गया है, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ते.प/ 11001, दिनांक 26.11.86 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है ।

3. **अधिनियम के प्रावधान का लागू होना –**

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के ऊपर लागू होते हैं,निविदा सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. **अधिसूचित मात्रा से अधिक प्रदाय की सीमा –**

(I) शर्त क्रमांक 4(II) के अध्यधीन रहते हुए तेंदूपत्ते का विक्रय संग्रहण केन्द्र से हरी अवस्था के आधार पर है । इच्छुक निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे समिति क्षेत्रों, जिनके लिए वे निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर उत्पादित होने वाले तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता एवं क्षेत्र की उत्पादकता के बारे में अपनी संतुष्टि कर लें ।

(II) ठेका तेंदूपत्ते की अनुसूची–अ में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के क्रय / विक्रय के लिए होगा । परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे संग्रहित होते हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा । ऐसे लाट जो लाट की लागत मूल्य (जो प्रबंध संचालक, संघ द्वारा निर्धारित की जाती है) से कम दर पर स्वीकृत हुए हैं, और उन लाटों में क्रेता द्वारा अधिसूचित मात्रा से अधिक तेन्दूपत्ता संग्रहित कराया जाता है। तो क्रेता को उस अधिक संग्रहित मात्रा हेतु लागत मूल्य से भुगतान कर क्रय करना होगा। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को मान्य करना होगा ।

5. **निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि–**

(I) निविदा प्रस्तुत (Upload) करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा प्रस्तुत कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में । भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा, जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे । पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति जिस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर हो निविदा के साथ प्रस्तुत (Upload) की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया गया हो तथा कम्पनी मेमोरेंडम और आर्टीकल आफ एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा के साथ प्रस्तुत (Upload) किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम निविदा पत्र में लिखे जायेंगे तथा "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा प्रस्तुत (Upload) करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा । कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर युक्त पत्र जिसमे उसे कर्ता नियुक्त किया गया है, प्रस्तुत (Upload) किये जायेंगे ।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा प्रस्तुत (Upload) करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा के साथ प्रस्तुत (Upload) करेगा । यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख प्रस्तुत (Upload) नहीं करता हैं, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी । मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, प्रस्तुत किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा प्रस्तुत (Upload) किये जायेंगे ।

(III) अवयस्क, दिवालिया, अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी ।

(IV) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में भोपाल में देय हो, या इलेक्ट्रनिक कैश ट्रांसफर द्वारा संबंधित जिला यूनियन/संघ के संग्रहण बैंक खाते में, बकाया का भुगतान कर संघ के प्रबंध संचालक को लिखित/ई–मेल से सूचना प्रेषित करेगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि के आधार पर उसकी क्रय क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा ।

(V) निविदाकार का निविदा देने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता/व्यापारी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण – पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । निविदा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें निविदा दी गई हैं के पंजीयन प्रमाण–पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं निविदा के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत (Upload) करनी अनिवार्य है ।

(VI) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139। के अनुसार सभी निविदाकारों को जिस श्रेणी के हैं जैसे– व्यक्ति /व्यक्तिगत फर्म / भागीदारी फर्म /लिमिटेड कंपनी /हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के रुप मे स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) एवं माल एवं सेवा कर क्रमांक (GSTN) निविदा पत्र में अंकित करना एवं PAN कार्ड एवं माल एवं सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) की स्कैन प्रति प्रस्तुत (upload) करना अनिवार्य है ।

6. सत्यंकार की राशि –

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि, जो निविदा पत्र में दर्शित क्रय क्षमता की 8**%** होगी, के साथ शर्त क्रमांक 14 (I) में दर्शाये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(II) क्रय क्षमता सत्यंकार की राशि की 12.5 गुना होगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर निविदा पर विचार किया जायेगा ।

(III) सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की website https://mfpfederation.abcprocure.com पर क्रमशः परिशिष्ट–X एवं परिशिष्ट–XI में उपलब्ध रहेगी । सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 10(I) के अनुसार क्रय मूल्य की 10**%** की सीमा तक समायोजित की जावेगी ।

(IV) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि तथा असफल निविदाकारों की पूर्ण सत्यंकार राशि परिणाम घोषित होने के उपरांत निविदा पत्र (Annexure-II Form No. 1 के कॉलम–13) में दर्शायी बैंक खाते में वापस की जावेगी । बैंक खाते का विवरण निविदाकार द्वारा गलत भरने के कारण राशि निविदाकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर निविदाकार पूर्णतः जिम्मेदार होगा । क्रेता के आवेदन पर भी अन्य किसी बैंक खाते में राशि वापस नहीं की जावेगी । अगले चक्र की निविदा हेतु निविदाकार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी ।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7. **निविदा भरने की प्रक्रिया –**

(I) एक अथवा एक से अधिक लाटों के क्रय के लिए एक निविदाकार एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा । यदि कोई निविदाकार एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(II) निविदा केवल ऑन लाइन पोर्टल https://mfpfederation.abcprocure.com पर प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी ।

(III) निविदाकार को निविदा पत्र में प्रत्येक लाट के क्रय के लिए अपनी प्राथमिकता के अनुसार अलग–अलग क्रय दर देना होगी । निविदाकार तेन्दूपत्ता के प्रत्येक लाट के लिए प्रति मानक बोरा दर, जिसमें कर/ उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, अपने निविदा पत्र में प्रस्तावित करेगा । प्रस्ताव में प्रति मानक बोरा दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नहीं । निविदा दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी ।

(IV) निविदाकार को अपने प्रथम प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुक्रमांक–1 पर, दूसरी प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुक्रमांक–2 पर और तद्नुसार निविदा पत्र **(**परिशिष्ट **II, Form No. 2)** में अंकित करना चाहिये । निविदाकार के द्वारा निविदा पत्र में दर्शाये गये प्राथमिकता क्रम में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करने दिया जावेगा ।

(V) विभिन्न लाटों के लिए प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकेंगे कि लाटों, जिनके लिए प्रस्ताव दिये गये हैं, का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के 10 गुना से अधिक न हो परन्तु प्रस्ताव केवल क्रय क्षमता तक ही स्वीकृत किये जावेंगे ।

(VI) यदि प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के 10 गुना से अधिक है तो ऐसे प्रस्तावों (प्राथमिकता क्रम के अनुसार) जो इस सीमा से अधिक है, पर विचार नहीं किया जावेगा।

(VII) यदि कोई निविदाकार एक लाट के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये । यदि एक लाट के लिए निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की दरें समान है, तो केवल उच्चतम प्राथमिकता के प्रस्ताव पर ही विचार किया जावेगा और निचली प्राथमिकता के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये ।

(VIII) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी लाट के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है अथवा यदि किसी लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(IX) निविदाकार को अपने निविदा पत्र **(**परिशिष्ट **II, Form No. 1)** में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता, दूरभाष क्रमांक, मोबाईल कमांक एवं ई–मेल का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। इस पते पर पंजीकृत डाक अथवा ई–मेल से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे। निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है। यदि निविदाकार के द्वारा अंकित की गई जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी निविदा अमान्य की जा सकेगी।

(X) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक फार्म (Templates) को भरना होगा और उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को

प्रस्तुत (Upload) कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक–5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा । सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत (Upload) न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नहीं होगी ।

8. प्रस्तावों को वापिस लिया जाना आदि –

निविदा के Final Submission उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट/लाटों के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता । इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की मानक बोरा मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 8% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली–सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

9. निविदाओं को स्वीकार किया जाना –

(I) शासन/संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(II) विभिन्न निविदाकारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न–भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है ।

(III) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाट का आवंटन निविदाकारों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जावेगा । यदि निविदा दर एवं प्राथमिकता क्रम दोनों एक समान हों तो लाट के आवंटन की प्राथमिकता संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी ।

(IV) निविदाकार ऐसे लाट/लाटों को जो कि उसकी क्रय क्षमता की सीमा के अंदर आते है और जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा ।

10. प्रतिभूति निक्षेप–

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित कुल क्रय मूल्य की 15% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी। इसमें 10% की सत्यांकर की राशि से समायोजित की जाऐगी एवं शेष 5% तक की राशि किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट/ Electronic Cash Transfer /बैक गारंटी (Bank Guarantee) अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) के रूप में जमा करनी होगी । उपरोक्त 10% की राशि के प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 6 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि, जिस हद तक वह उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि, यदि कोई हो, तो उसको निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करनी होगा। बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट/Electronic Cash Transfer के माध्यम से जमा की जाने वाली अवशेष देय प्रतिभूति की राशि मुख्य वन संरक्षक के पास, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के मुख्यालय के किसी

अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा **या** परिशिष्ट-**VI** मे दर्शित संबंधित जिला यूनियन में संघ के संग्रहण बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर (RTGS/ NEFT/Net Banking) के माध्यम से अदा करेगा । शेष 5 प्रतिशत की प्रतिभूति निक्षेप की राशि शर्त क्रमांक 10 (V) के अनुसार संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक, के पक्ष में जारी जिला यूनियन मुख्यालय पर स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट/ बैक गारंटी (Bank Guarantee) अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) के रुप में **या** परिशिष्ट-**VI** मे दर्शित संबंधित जिला यूनियन में संघ के संग्रहण बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर (RTGS/NEFT/Net Banking) के माध्यम से अदा करेगा ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में संघ के प्रबंधक संचालक/जिला यूनियन के प्रबंध संचालक/वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित कि जा सकती है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को, क्रेता को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू–राजस्व के बकाया की बतौर एवं क्रेता करारनामे की शर्त 7(I) के अंतर्गत वसूली के योग्य होगी, साथ ही राशि वसूली हेतु अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या इसमें से अवशेष राशि (बैक गारंटी (Bank Guarantee) अथवा *सावधि जमा रसीद (FDR)* को छोड़कर), जैसी भी स्थिति हो, प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् उस सीमा तक अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी जिस सीमा तक समायोजन के उपरांत बैक गारंटी (Bank Guarantee) अथवा सावधि जमा रसीद *(FDR)* के रूप में जमा प्रतिभूति की राशि, यदि कोई हो, सहित कुल अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की राशि 5% से कम न हो। संग्रहण केन्द्र से परिदान लेने की स्थिति में भी उपरोक्तानुसार राशि रोकते हुये प्रतिभूति निक्षेप में से अवशेष राशि क्रेता के विरूद्ध वास्तविक संग्रहण के आधार पर देय राशि, यदि कोई हो, के विरूद्ध समायोजित की जावेगी। लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक समस्त संग्रहित की गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा। लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा।

(V) इस शर्त के प्रयोजन हेतु बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट/ इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर जिला यूनियन में संघ के संग्रहण बैंक खाते में जमा किया जावेगा/ बैक गारंटी (Bank Guarantee) अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) क्रेता द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जारी की जाना होगी। बैक गारंटी (Bank Guarantee) अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) इस प्रकार जारी होना चाहिये कि उसकी वैधता अवधि करार अवधि के **छः** माह बाद तक होनी चाहिए। उपरोक्त उप कंडिका (IV) में दर्शाए समायोजन के उपरांत अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और संघ की कोई भी पूर्व की बकाया राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस लौटा दी जावेगी। ऐसी राशि की वापसी क्रेता द्वारा तेंदूपत्ते की सम्पूर्ण मात्रा के परिदान प्राप्त करने के उपरांत ही की जायेगी।

11. **तेंदूपत्ते का परिदान–**

(I) क्रेता द्वारा 30 अप्रैल 2026 तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर देय कुल क्रय मूल्य एवं उस पर देय समस्त कर भुगतान करने एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में उक्त दिनांक तक इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर लाट के क्षेत्र में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते की समस्त मात्रा का संग्रहण केन्द्र से परिदान किया जावेगा ।

(II) यदि क्रेता द्वारा उपरोक्तानुसार संग्रहण केन्द्र से तेंदूपत्ता परिदान की सुविधा हेतु दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान नहीं किया जाता है एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि वह संग्रहण केन्द्र से परिदान लेने का इच्छुक नहीं है । ऐसी दशा में उसे गोदामीकरण के उपरांत प्रत्येक किश्त का भुगतान करने पर लाट की कुल गोदामीकृत मात्रा की एक चौथाई मात्रा या संपूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान करने पर पूरी मात्रा अथवा किश्त की राशि का भुगतान करने पर भुगतान की गई राशि के समतुल्य मात्रा का परिदान दिया जावेगा । परिदान दिये जाने के समय लाट में से तेंदूपत्ते की छंटाई करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया है ।

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई स्टाक की सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या अन्य किसी प्रकार के कार्य को संघ के गोदामों के परिसरों या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(IV) यदि क्रेता द्वारा फड पर परिदान में ली गई तेन्दूपत्ते की संपूर्ण मात्रा का परिवहन किसी भी कारण से गोदाम में भण्डारण करने हेतु नही किया जाता है, तो इस प्रकार से फड पर छोडी गई संपूर्ण मात्रा को किश्त की भुगतान की गई राशि के विरुद्ध सर्व प्रथम समायोजित किया जायेगा । इसके पश्चात ही जमा की गई किश्त की राशि के विरुद्ध गोदाम में भण्डारित मात्रा का परिदान देते हुए परिवहन की अनुमति दी जावेगी ।

12. **अधिनियम आदि का उल्लंघन –**

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और/ अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है तो, विधिक कार्यवाही पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, करारनामे को समाप्त किया जा सकेगा एवं क्रेता द्वारा जमा प्रतिभूति निक्षेप की राशि अधिग्रहित की जा सकेगी एवं/अथवा क्रेता को तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

13. **करारनामें का हस्तांतरण –**

क्रेता संघ/मुख्य वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ/संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह `. 10000/–एवं इस पर देय कर की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की 15% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में, जिसमें से न्यूनतम 10% राशि किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड/बैंक ड्राफ्ट/जोकि संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, **या** संबंधित जिला यूनियन में संघ के संग्रहण बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर द्वारा अदा करेगा एवं शेष 5% तक की राशि शर्त क्रमांक 10 के अनुसार संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक, के पक्ष में जारी जिला यूनियन मुख्यालय पर स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट/ बैक गारंटी (Bank Guarantee) अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) के रुप में या संबंधित

जिला यूनियन में संघ के संग्रहण बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर द्वारा अदा करेगा / हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता/ व्यापारी के प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क `. 10000/–एवं इस पर देय कर तथा लाट की अधिसूचित मात्रा (दिनांक 15.07.2026 के पश्चात संग्रहित मात्रा) के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की 15% प्रतिभूति निक्षेप की राशि के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट / *इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर* /बैंक गारंटी (Bank Guarantee) अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) के रुप में शर्त क्रमांक 10 में दी गई प्रकिया अनुसार संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में लाट के लिए निर्धारित प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए, परन्तु हस्तांतरण की अनुमति हेतु कोई आवेदन 16.04.2026 से 15.07.2026 की अवधि के बीच स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लाट का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है।

14. देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया –

(I) निविदाकार द्वारा

निविदाकार को सत्यंकार (E.M.D.) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा । निविदाकार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है ।

1- क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards)

निविदाकार द्वारा क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards) के विकल्प का चयन करने के उपरांत Payment Gateway में दर्शाये निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा ।

2- नेट बैंकिग (Net Banking)

निविदाकार केवल नेट बैंकिग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से ही राशि आनलाइन ट्रांसफर कर सकता है । नेट बैंकिग के लिये कई बैंकों की सूची Payment Gateway में प्रदर्शित होगी । उसके बाद निविदाकार को अपने बैंक का चयन कर Payment Gateway में दर्शाये निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा ।

3- आर.टी.जी.एस./एन.इ.एफ.टी (RTGS/NEFT)

निविदाकार को संलग्न परिशिष्ट–XII में उल्लेखित Other Information की कंडिका 2.2 में दर्शाये निर्देश (Instructions) के अनुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा ।

(II) निविदाकार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

क्रेता संघ या जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या.,को देय समस्त राशि जैसे कि विक्रय मूल्य, माल एवं सेवा कर, आय कर, ब्याज एवं गोदाम किराया आदि का भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि संबंधित जिला यूनियन के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय में किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, या संबंधित जिला यूनियन में संघ के परिशिष्ट–VI में दिये गये बैंकों में उनके समक्ष दर्शाये कोड/बैंक खाता क्रमांको में Electronic Cash Transfer (RTGS/NEFT/Net Banking) के माध्यम से हस्तांतरण द्वारा कर सकता है।

बैंक के द्वारा संचालित RTGS/NEFT/Net Banking व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान के कारण संघ/जिला यूनियन के खाते में राशि प्राप्त न होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । RTGS/NEFT/Net Banking व्यवस्था से भुगतान

की तिथि वही मानी जावेगी, जिस तिथि को संघ/जिला यूनियन के बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी ।

क्रेता द्वारा भुगतान करने के उपरांत मनी रसीद (M.R.) जारी करने हेतु परिशिष्ट–VII में आवेदन संबंधित जिला यूनियन को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् ही संबंधित जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या., द्वारा मनी रसीद (Money Receipt) जारी की जावेगी ।

Annexure - II
(परिशिष्ट–II)

(निविदा सूचना कमांक ते.प.(2026)–I दिनांक 05.12.2025 का परिशिष्ट)

मध्य प्रदेश़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या.भोपाल

तेन्दूपत्ता लाट के क्रय हेतु आनलाइन निविदा पत्र

ONLINE TENDER FORM FOR PURCHASE OF TENDU LEAVES LOTS

(Form No. 1)

1.	Permanent Tenderer Number (P.T.N.)		
2.	Tenderer's Category		Drop Down Menu (INDIVIDUAL, PROPRIETORSHIP FIRM, PARTNERSHIP FIRM, COMPANY, HUF, LTD. Co.)
3.	(a)	Proprietor's Name (In case of Proprietorship Firm) / Name of Karta (In case of HUF)	
	(b)	Father's Name / Husband's Name	
4.	**Address for Correspondence**		
	(a)	House No.	
	(b)	Street / Location	
	(c)	Area / Landmark	
	(d)	City	
	(e)	District Name	
	(f)	State	Selection from Drop down menu (List provided by Federation)
	(g)	Pin Code	
5.	Contact No. 1 (Provide STD Code also in case of Landline No.)		
6.	Alternate Contact Nos. (Mobile No.)		
	(a)	Contact No. 2	
	(b)	Contact No. 3	
7.	Fax No. (Provide STD Code also)		
8.	Alternate E-mail Id (For Official Correspandance)		Should be valid E-mail Id
9.	Income Tax P.A.N.		

10.	**Registration Details**		
	(a)	Registration No. and Date Under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964	
	(b)	Name of Forest Division Where Tenderer Registered	Selection from Drop down menu (List provided by Federation)
	(c)	Status of Tenderer	Drop Down Menu 1. (MANUFACTURER , TRADER, BOTH) 2. Validity for year (2019, 2020, 2021, 2022, 2023,...) 3. Tenderer State (M.P, RJ, UP, A.P., T.N., JH. CG., MH, GUJ., ...)
11.	Registration No. Under Goods & Service Tax Act (GSTIN)		
12.	Outstanding dues of Forest Department / Federation against the Tenderer (Condition No. 1(V) of Annexture - I) – In Rs.		
13.	**Tenderer's Bank Details ****		
	(a)	Type of Account	Drop Down Menu (Saving Bank A/c / Current A/c / Cash Credit A/c / Over Draft A/c)
	(b)	Account Number	
	(c)	Name of Bank and Branch	
	(d)	IFSC Code	

** Bank Details should be filled up carefully

Lotwise Rate Offer

(Form No. 2)

Earnest Money Deposit (E.M.D.) - In Rs. : **Entered by Tenderer**

Purchase Capacity (P.C.) - In Rs. : **Non-edited (E.M.D. x 12.5)**

Bidding Capacity (B.C.) - In Rs. : **Non-edited (P.C. x 10)**

Priority	Lot No. and Quantity (In Standard Bags)	Purchase Rate per Standard Bag (In Rs.)	Purchase Price (In Rs.) (Quantity x Rate)
1.			
2.			
3.			
4.			
-			
-			
-			

Documents to be Uploaded
(Duly Self Attested)

(Form No. 3)

1.	Scanned copy of Registration in DFO Office (For all)
2.	Scanned copy of PAN Card in the Name of Tenderer (For all)
3.	Scanned copy of Partnership Deed (if applicable)
4.	Scanned copy of Certificate of Company Incorporation and List of Latest Directors of Company (if applicable)
5.	Scanned copy of Power of Attorney (if applicable)
6.	Scanned copy of list of family members in case of H.U.F. (if applicable)
7.	Scanned copy GSTIN Registration of Trader / Manufacturer Under Goods & Service Act 2017 (For all)
8.	Self Declaration Annexure-XIV (For All)
9.	Any Other Document Specify (Aadhar/Voter ID/Driving Licence)

परिशिष्ट– III

(निविदा सूचना कमांक ते.प. **(2026)- I** दिनांक 05.12.2025 का परिशिष्ट)

निविदाकार का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त कमांक –4(**II**))

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्...................को प्रथम पक्ष मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक...................वृत्त के मार्फत कार्य करते हुए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हे इसके आगे "संघ" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स.. ....आत्मज ....ग्राम ....पुलिस थाना ....जिला.............................(जिन्हें इसके आगे "निविदाकार कहा गया है", जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।

चूँकि तेंदूपत्ते का व्यापार मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है,

और

चूँकि शासन द्वारा संघ को संपूर्ण मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से संग्रहित होने वाले तेंदूपत्तों के समस्त लाटों के निर्वर्तन हेतु अधिकृत किया गया है,

और

चूँकि वर्ष **2026** संग्रहण सीजन में संघ विभिन्न समितियों के माध्यम से संग्रहित होने वाले तेंदूपत्तों के लाटों का निविदा द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सूचना क्र. ते.प. (2026).........................दिनांक ....जारी की गई है और चूँकि संघ उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है ।

अतएवं यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :–

1. मैं/ हम ....एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते है कि मैंने/हमने मध्य प्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये नियमों, उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों, निविदा सूचना के परिशिष्ट–I में दिये गये निविदा के निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देश तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न क्रेता करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

2. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदाएं खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा/लेंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस लाट/लाटों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके/जिनके लिए मैंने/हमने निविदा प्रस्तुत की है ।

3. मेरे/हमारे ....के द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/ हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूँगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी ।

4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प. (2026) ....दिनांक .... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

5. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध मध्यप्रदेश में न तो वन विभाग अथवा संघ की कोई राशि बकाया है और न ही मैं/हम/शासन/संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ/हैं ।

जिसके साक्ष्य में मैंने/हमने संबंधित व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/विधिक कम्पनी ने पहले उपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

Note:- Since the document is being submitted as a part of digitally signed tender document in e-tendering process, so the physical signatures of the tenderer and Managing Director, Madhya Pradesh Minor Forest Produce (Trading & Developement) Co-op. Federation Limited are not available on this document.

परिशिष्ट– IV

(निविदा सूचना कमांक ते.प. **(2026)-** I दिनांक 05.12.2025 का परिशिष्ट)

केता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त कमांक –7)

यह करार आज दिनांक ....माह................सन्..................को प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित.....................वृत (जो इसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री...आत्मज .... निवासी...............................ग्राम......................और जो (1) श्री...(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7–1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् केता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि मध्यप्रदेश राज्य में तेंदूपत्ते का व्यापार, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (कमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने संग्रहण वर्ष **2026** के तेंदूपत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने समितियों के माध्यम से संग्रहित किये जाने वाले तेंदूपत्ते के विकय के लिए अपनी निविदा सूचना कमांक ते.प. (2026)–**.....** दिनांक .... के द्वारा निविदायें आमंत्रित की थी, और केता के द्वारा लाट कमांक............. (अंको में).............................(शब्दों में) समिति के नाम ....और जिसको कथित निविदा सूचना कमांक ते.प. (2026)– **.........** दिनांक .... की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेंदूपत्ते के कय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेंदूपत्ते का दिनांक 31.03.2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए केता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं:–

1. **केता करारनामा की अवधि –**

यह करार दिनांक.................... से प्रारम्भ होगा और दिनांक 31.03.2027 तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. करारनामे के भाग –

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प. (2026) – .... दिनांक .... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट–I में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है,उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. क्रय दर आदि –

क्रेता लाट क्रमांक........................(अंको में).. (शब्दों में) समिति/समितियों के नाम................................ जिसको कि इसके पश्चात् लाट कहा गया है, के तेंदूपत्ता को रूपये ....(अंकों में) .... (शब्दों में) प्रति मानक बोरा की दर पर, क्रय करेगा । लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय–समय देय सभी पर कर/उपकर भी अदा करेगा ।

4. अधिसूचित मात्रा से अधिक/कम प्रदाय –

(I) कंडिका क्रमांक 4(II) के अध्यधीन रहते हुए तेंदूपत्ते का विक्रय संग्रहण केन्द्र से हरी अवस्था के आधार पर है । क्रेता द्वारा परिशिष्ट–I की कंडिका 4(I) के अनुसार क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण कर तेंदूपत्ते की उत्पादकता एवं गुणवत्ता के बारे में अपनी संतुष्टि कर ली है।

(II) करारनामा, निविदा की अनुसूची–अ में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए है । परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे संग्रहित होते हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा । ऐसे लाट जो लाट की लागत मूल्य (जो प्रबंध संचालक, संघ द्वारा निर्धारित की जाती है) से कम दर पर स्वीकृत हुए हैं, और उन लाटों में क्रेता द्वारा अधिसूचित मात्रा से अधिक तेन्दूपत्ता संग्रहित करायाजाता है। तो क्रेता को उस अधिक संग्रहित मात्रा हेतु लागत मूल्य से भुगतान कर क्रय करना होगा। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को मान्य करना होगा ।

(III) करारनामा, निविदा की अनुसूची–अ में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए है। परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से कम संख्या में मानक बोरे संग्रहित होते हैं, तब क्रेता को वास्तविक संग्रहित मात्रा से अधिक मात्रा के लिये यदि कोई अग्रिम रूप से भुगतान की गई विक्रय मूल्य की राशि हो तो ऐसी अधिक राशि संबंधित जिला यूनियन की पूर्ण संतुष्टि उपरांत दिनांक 15.07.2026 के पश्चात लौटाई जा सकेगी। राशि पर कोई ब्याज आदि देय नही होगा। मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को मान्य करना होगा।

5. संग्रहण, परिदान, उपचारण आदि की प्रक्रिया –

(I) संघ एवं जिला यूनियन, प्राथमिक समिति .... जिन्हें अनुसूची में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, के अनुसूची–ब में दर्शाई गई फड़ों तथा प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा

निर्धारित किसी अतिरिक्त फड़ पर तेंदू पत्ता का संग्रहण/क्रय करेगा । संग्रहण पारिश्रमिक, संग्रहण तक का फड़ मुंशी कमीशन एवं शाखकर्तन का व्यय प्राथमिक समिति द्वारा वहन किया जावेगा ।

(II) तेंदू पत्ते का संग्रहण/क्रय निर्धारित फड़ों पर ही किया जावेगा । प्रबंध संचालक, जिला यूनियन यदि चाहे तो फड़ों की सूची में परिवर्तन कर सकेगे ।

(III) क्रेता द्वारा प्रत्येक संग्रहण केन्द्र (फड़) पर एक प्रतिनिधि रखा जावेगा । क्रेता ऐसे प्रतिनिधियों की सूची उनके हस्ताक्षर के प्रमाणित नमूने, पता एवं फोटो सहित दो प्रतियों में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को दिनांक 30.04.2026 तक प्रस्तुत करेगा ।

(IV) संग्रहण के उपरांत क्रेता के प्रतिनिधि को समस्त संग्रहित तेंदू पत्ता संग्रहण के 48 घंटे के भीतर हरी अवस्था में परिदान दिया जावेगा । क्रेता समिति द्वारा संग्रहित/क्रय किये गये तेंदूपत्ते को परिदान लेने से अस्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि पत्ता बीड़ी बनाने के अयोग्य न हो । यदि क्रेता का प्रतिनिधि बीड़ी बनाने के अयोग्य दर्शाते हुए पत्ते को अस्वीकार करना चाहता है तो उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र तेंदू पत्ता संग्रहण के 48 घंटे के भीतर संबंधित समिति के नोडल अधिकारी या क्षेत्राधिकार वाले वन परिक्षेत्र अधिकारी अथवा वन मंडलाधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर वर्णित तेंदू पत्ते का निरीक्षण क्षेत्राधिकार वाले वन परिक्षेत्र अधिकारी या उप वन मंडलाधिकारी या वन मंडलाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के द्वारा किया जावेगा जो प्रस्तुत तेंदू पत्ते के बीड़ी बनाने के अयोग्य होने अथवा नहीं होने के संबंध में निर्णय लेंगे । इनका यह निर्णय अंतिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा । तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने योग्य पाये जाने पर क्रेता को उसका परिदान लेना अनिवार्य होगा । यदि 48 घन्टे की अवधि मे क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा संग्रहित तेंदू पत्ते का परिदान नहीं लिया जाता है अथवा पत्ते के बीड़ी के अयोग्य होने संबंधी लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि क्रेता के द्वारा संग्रहित पत्ते की संपूर्ण मात्रा का परिदान प्राप्त कर लिया गया है, और भविष्य मे इस संबंध में क्रेता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

(V) कंडिका क्रमांक 5(IV) के अध्यधीन रहते हुऐ क्रेता के प्रतिनिधि को संग्रहण पुस्तिका के अंतर्गत विवरण के आधार पर तेंदूपत्ते की पावती लेना होगी एवं तेंदूपत्ते का परिदान लेने के तुरंत बाद उसकी रसीद निर्धारित प्ररूप में प्राथमिक समिति के प्रतिनिधि को देना होगी । संग्रहण पुस्तिका में विवरण दर्ज होने के उपरांत इस विवरण के अनुसार तेंदू पत्ता क्रेता को परिदत्त मान लिया जावेगा एवं इसके उपरांत पत्ता क्रेता के जोखिम पर संग्रहण केन्द्र पर रहेगा और आवश्यक पाये जाने पर संघ के द्वारा क्रेता के जोखिम पर ही इसका उपचारण, बोरा भराई, अन्यत्र परिवहन एवं भण्डारण आदि भी किया जा सकेगा ।

(VI) क्रेता द्वारा संग्रहण केन्द्र से संग्रहित तेंदूपत्ते का परिदान उपरोक्त रीति द्वारा 48 घन्टे के भीतर प्राप्त न करने की स्थिति में यदि यथास्थिति संघ, जिला यूनियन या प्राथमिक समिति संग्रहित तेंदूपत्ते के उपचारण, बोरा भराई एवं परिवहन आदि कार्य करते हैं, तो ऐसे कार्यों पर किए गए समस्त व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा किया जावेगा । तेंदूपत्ते के उपचारण, बोरा भराई एवं परिवहन आदि की उक्तानुसार की गई समस्त कार्यवाही एवं व्यय की गणना के संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा एवं क्रेता को मान्य करना होगा ।

(VII) क्रेता को परिदान की जाने वाली प्रति मानक गड्डी में 50 तेंदूपत्ते होंगे ।

(VIII) परिदान लेने के उपरांत परिदत्त तेंदू पत्ते के उपचारण, बोरों में भराई एवं गोदाम तक परिवहन का कार्य क्रेता द्वारा किया जावेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा । परिदान लेने के उपरांत परिदत्त तेंदूपत्ते की सुरक्षा का दायित्व क्रेता का होगा एवं ऐसे तेंदूपत्ते की किसी प्रकार की क्षति हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा ।

(IX) सफल केता को बोरे तथा सुतली की मात्रा, जो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा स्वविवेक से निर्धारित की जावेगी, जिला यूनियन से प्राप्त करना होगा । केता को जिला यूनियन द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदाय किये गये बोरों एवं सुतली के लिये प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा सूचित दर से राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से जिला यूनियन के मुख्यालय पर देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट /डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 30.04.2026 तक भुगतान करना होगा । बोरा एवं सुतली के उपरोक्त दर से परिगणित मूल्य पर जो भी कर देय होंगे, केता द्वारा उपरोक्त रीति से दिनांक 30.04.2026 तक भुगतान किए जावेंगे ।

(X) केता द्वारा जिला यूनियन द्वारा प्रदाय किये गये बोरों पर पूर्व से अंकित मार्का बोरा भरने के पूर्व स्पष्टतः काट दिया जावेगा । यदि परिवहन के दौरान कोई ऐसा बोरा बिना मार्का काटे पाया जाता है तो वह अवैध संग्रहण एवं परिवहन मानकर जप्ती योग्य होगा । बोरों पर पूर्व से अंकित मार्का उपरोक्तानुसार काटने के उपरांत केता यदि चाहे तो अपनी सुविधा के लिये बोरों पर कोई भी विवरण अंकित कर सकेगा ।

(XI) यदि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा किसी केता के प्रतिनिधि को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो केता उसे इस करारनामें के अधीन किसी भी कार्य करने से तत्काल पृथक करेगा ।

(XII) लाट के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सीमा विवाद के संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं केता पर बंधनकारी होगा । इसी प्रकार कंडिका 5 की उपरोक्त उप कंडिकाओं के अतिरिक्त किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं केता पर बंधनकारी होगा।

(XIII) यदि केता द्वारा फड पर परिदान में ली गई तेन्दूपत्ते की संपूर्ण मात्रा का परिवहन किसी भी कारण से गोदाम में भण्डारण करने हेतु नही किया जाता है , तो इस प्रकार से फड पर छोडी गई संपूर्ण मात्रा को किश्त की भुगतान की गई राशि के विरुद्ध सर्व प्रथम समायोजित किया जायेगा । इसके प्श्चात ही जमा की गई किश्त के राशि के विरुद्ध गोदाम में भण्डारित मात्रा का परिदान देते हुए परिवहन की अनुमति दी जावेगी ।

6. देय राशि के भुगतान तथा पत्ते के परिदान की रीति –

(अ) **(I)** यदि केता चाहे तो वह लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित कुल क्रय मूल्य एंव उस पर देय कर की राशि संघ के नाम से जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी बैंक शाखा पर देय किसी अनुसूचित बैंक के बैंक/डिमांड ड्राफ्ट या Electronic Cash Transfer/RTGS/ NEFT/ Net Nanking द्वारा जिला यूनियन मुख्यालय पर संघ के संग्रहण बैंक खाते मे भुगतान कर लाट के क्षेत्र में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते की अधिसूचित मात्रा तक संग्रहण केंद्र से ही उसके लिये अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ले जा सकता है । इस सुविधा का लाभ लेने हेतु वह उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एंव इस आशय का एक आवेदन पत्र प्रबंध संचालक, जिला यूनियन .... के कार्यालय में दिनांक 30.04.2026 तक प्रस्तुत करेगा ।

(II) केता को उप कण्डिका **(I)** के अंतर्गत संग्रहण केन्द्र से तेंदूपत्ता ले जाने की सुविधा दिये जाने की स्थिति में यदि लाट के क्षेत्र में अधिसूचित मात्रा से अधिक वास्तविक संग्रहण होने पर, अधिक संग्रहित मात्रा के आधार पर क्रय मूल्य की अतिरिक्त देय राशि एंव उस पर देय कर दिनांक 15.06.2026 तक भुगतान करने के उपरांत ही तेन्दूपत्ते का परिवहन कर सकेगा। अधिसूचित मात्रा से कम वास्तविक संग्रहण होने की स्थिति में केता द्वारा जमा अधिक राशि केता को वापस की जा सकेगी अथवा उसके आवेदन पर किसी अन्य लाट के विरूद्व समायोजित की जा सकेगी।

(III) क्रेता द्वारा उप कण्डिका (I) के अनुसार देय राशि एंव आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2026 तक प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि क्रेता संग्रहण केन्द्र से तेंदूपत्ता मुक्त नहीं कराना चाहता है एंव तब उसे तेंदूपत्ते का गोदाम से ही निर्धारित रीति से परिदान दिया जावेगा ।

(ब) क्रेता को गोदाम से तेंदूपत्ता परिदान की सुविधा दिये जाने की स्थिति में उसे प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा 30.04.2026 तक आदेशित संघ/ समिति/विभागीय गोदाम में तथा ऐसा गोदाम उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में प्रबंध संचालक जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस उद्देश के लिये अनुमोदित अपने गोदाम में, दोहरे ताले में निम्न शर्तो पर निरापद रखने की सुविधा दी जा सकेगी । क्रेता द्वारा जिला यूनियन से आदेशित संघ/समिति/विभागीय गोदाम में भंडारण की सुविधा न लिये जाने की स्थिति में क्रेता एवं गोदाम मालिक प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के साथ संघ द्वारा निर्धारित गोदाम किराये का त्रि–पक्षीय करारनामा प्ररूप (परिशिष्ट–VIII) में करारनामा निष्पादित करेंगे । इस कंडिका के प्रयोजन हेतु प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा दिनांक 30.04.2026 तक संघ/ समिति/विभागीय गोदाम आदेशित किये जाने पर क्रेता ऐसे गोदाम/गोदामों में तेंदूपत्ता रखने हेतु बाध्य होगा । परन्तु यदि क्रेता उसे आदेशित गोदाम में तेंदू पत्ते का भंडारण करने का इच्छुक नहीं है तो वह प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा आदेशित संघ/समिति/विभागीय गोदाम की क्रेता को आवंटित भंडारण क्षमता के आधार पर रु 8/– प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से 8 माह का गोदाम किराया अग्रिम में भुगतान कर इस बाध्यता से मुक्त हो सकेगा । यदि उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त करने के उपरान्त क्रेता उक्त 8 माह की अवधि के पूर्व शर्त क्रमांक 6(ब) (1) में निर्धारित किश्तों की संपूर्ण देय राशि का भुगतान कर देता है तो उसे इस प्रकार भुगतान की अंतिम दिनांक के माह तक का ही किराये का भुगतान करना होगा । अग्रिम जमा कराई गई अतिरिक्त राशि उसके अनुरोध पर लाट की किसी अन्य राशि के विरूद्ध समायोजित की जा सकेगी अथवा इस प्रकार देय गोदाम किराये की राशि के समायोजन के उपरांत क्रेता को लौटाई जा सकेगी ।

(1) क्रेता पूर्ण क्रय–मूल्य का भुगतान समस्त देय करों सहित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किश्तों में प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश लघु वनोपज (व्यापार एंव विकास) सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में संबंधित जिला यूनियन की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय बैंक/डिमांड ड्राफ्ट/किसी बैंक की शाखा पर देय होगा **या** संबंधित जिला यूनियन में RTGS/ NEFT/ Internet Banking द्वारा परिशिष्ट–VI में दिये गये बैंकों के उनके समक्ष दर्शाये कोड/बैंक खाता क्रमांको में Electronic Cash Transfer के माध्यम से निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा ।

किश्त	किश्तों की तिथि
प्रथम	01.10.2026
द्वितीय	16.11.2026
तृतीय	31.12.2026
चतुर्थ	13.02.2027

क्रेता द्वारा किसी किश्त की देय तिथि के पूर्व उस किश्त की नीचे दर्शाये अनुसार आंशिक राशि एवं उस पर देय समस्त कर आदि जमाकर जमा की गई राशि के अनुपात में पत्ते का परिदान प्राप्त किया जा सकेगा । यदि क्रेता किसी किश्त की देय राशि निर्धारित तिथि तक भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन से अनुमति प्राप्त कर 300 मानक बोरे के विरुद्ध देय समस्त करों सहित राशि का भुगतान करने पर समानुपातिक रुप से तेन्दूपत्ता मुक्त किया जा सकेगा तथा अवशेष तेन्दूपत्ते पर किश्त की देय तिथि से विलंबित समय के लिये 6 (ब) (3) के अनुसार ब्याज देय होगा ।

(2) सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट –

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 1% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी। .यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 99% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा। यदि प्रथम किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो इस उपकंडिका के प्रयोजन हेतु प्रथम किश्त की देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी । क्रेता द्वारा 30 अप्रैल तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित जमा करने पर उसे 30 अप्रैल तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित राशि के 2% की राशि की छूट उपलब्ध होगी तथा यदि वास्तविक संग्रहण के आधार पर देय अतिरिक्त क्रय मूल्य की राशि बनती है तो उस राशि पर भी 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी। यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98.00% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा। वास्तविक संग्रहण अधिसूचित मात्रा से कम रहने की स्थिति में भी 30 अप्रैल तक जमा कराई गई लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की राशि के आधार पर दो प्रतिशत की राशि की छूट उपलब्ध रहेगी।

(3) यदि क्रेता किसी किश्त की देय राशि या इस करारनामे के अंतर्गत देय अन्य कोई भी राशि का देय तिथि तक भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह विलंबित अवधि के लिए **0.035** प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज देगा । यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

(4)(**I**) प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा तेंदू पत्ता रखने हेतु संघ/समिति/विभागीय गोदाम अनुमोदित किये जाने पर क्रेता ऐसे गोदाम के लिये प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रु **8/–** प्रति वास्तविक बोरा प्रतिमाह की दर से गोदाम किराया भुगतान करेगा ।

(**II**) किराये की गणना प्रत्येक माह हेतु उस माह में भंडारित अधिकतम मात्रा के आधार पर की जावेगी एवं यह राशि आगामी माह की 1 तारीख को देय मानी जावेगी । किराये की प्रथम देय दिनांक 01.06.2026 (माह मई 2026 में भंडारित अधिकतम मात्रा के आधार पर) होगी ।

(**III**) देय दिनांक तक निर्धारित किराया भुगतान न करने पर विलंबित राशि पर उपरोक्त उप कंडिका (3) के अनुसार ब्याज देय होगा ।

(5) तेंदूपत्ता क्रेता की अभिरक्षा, देखरेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नियंत्रण में रखा जाएगा और इस शर्त पर कि गोदाम में संघ का ताला लगाकर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया, जैसी कि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने आदेशित की हो, के अनुसार अभिगमन तथा नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(6) क्रेता को गोदाम के अंदर रखे गये तेंदूपत्ते का बीमा समस्त कारणों से होने वाली संभावित हानि के लिये अनिवार्य रूप से कराना होगा । तेंदूपत्ते का बीमा ऐसी राशि के लिये होगा, जो किसी भी समय क्रेता के उपर बकाया देय राशि से कम नहीं होगा । यदि किसी भी कारण से तेंदूपत्ते की कोई हानि होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा सीधे संघ को देय होगी और इस प्रकार का प्रावधान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि के अधीन क्रेता को बीमा पालिसी में कराना होगा । यह गोदामीकरण सुविधा की विशिष्ट शर्ते है । यदि किसी भी कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की रकम संघ को अदा नहीं करती है तो क्रेता उसके भुगतान के लिये बाध्य होगा । यदि बीमा कंपनी द्वारा किये गये भुगतान तथा देय राशि में कोई अंतर है तो यह क्रेता अदा करेगा । यदि किश्तों की निश्चित तिथि के

पश्चात क्षतिपूर्ति भुगतान या उसका भाग प्राप्त होता है तो क्रेता ऐसी विलंबित राशि पर 0.035 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज अदा करेगा ।

(स) (I) क्रेता तेंदूपत्ते का कंडिका क्रमांक 6(ब) के अनुसार आदेशित/अनुमोदित गोदामों से परिदान लेगा तथा वह गोदाम के अन्दर से बोरा हटाने में आया समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा । क्रेता को पत्तो का परिदान केवल तभी दिया जायेगा जब कि देय राशि के विलंबित भुगतान की स्थिति में ब्याज सहित, पूर्ण भुगतान उसके द्वारा कर दिया गया है ।

(II) प्रत्येक किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से पत्तों की छंटाई की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या कोई अन्य कार्य संघ के गोदाम के परिसरों में या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(द) नीचे दी गई कंडिका (इ) के प्रावधान के अध्यधीन, क्रेता को किश्त की देय दिनांक या भुगतान की दिनांक, जो भी बाद में हो, से 45 दिनों के भीतर गोदाम से तेंदूपत्ता हटाना होगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो परिदान आदेश को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक से पुनर्जीवित कराना होगा ।

(इ) क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये तेंदूपत्ते को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका तेंदूपत्तें की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा तेंदूपत्ता संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा । तथापि यदि क्रेता ने लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नही किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप में रु 10000/– एवं इस पर देय कर का तथा गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए रु 9/– प्रति वास्तविक बोरा की दर से भुगतान कर दिया है और मुख्य वन संरक्षक को तेंदूपत्ते को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो मुख्य वन संरक्षक ऐसी अनुमति ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी । परन्तु उपरोक्त 60 दिवस की अवधि समाप्ति के उपरांत भी विशेष परिस्थितियों में अवधि वृद्धि शुल्क के रूप में रु 10000/– एवं इस पर देय कर अतिरिक्त प्राप्त होने पर संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने हेतु इस पत्ते के निर्वर्तन के पूर्व अतिरिक्त अवधि दे सकेंगे । यदि क्रेता द्वारा मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उपरोक्तानुसार 60 दिन की अनुमति हेतु अवधि वृद्धि शुल्क ` 10000/–एवं इस पर देय कर जमा नहीं किया गया है एवं उसके द्वारा उपरोक्तानुसार 60 दिवस से अतिरिक्त अवधि वृद्धि हेतु अनुरोध किया जाता है तो उसे अवधि वृद्धि शुल्क के रूप में रु 20000/–एवं इस पर देय कर जमा करना होगा ।

7. बकाया राशि की वसूली –

(I) यदि संघ क्रेता से पूर्व की कोई बकाया राशि किसी भी कारण से वसूल नहीं कर पाता है तो ऐसी बकाया राशि क्रेता के द्वारा भुगतान योग्य होगी और उसके द्वारा ऐसा भुगतान न करने पर ऐसी राशि संघ/जिला यूनियनों के पक्ष में क्रेता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी/सावधी जमा रसीद (FDR) आदि के नगदीकरण के अधिकार पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले बिना, क्रेता की अन्य ऐसी राशि जो कि संघ के पास इस करारनामें के प्रावधानों के अंर्तगत उपलब्ध हो या संघ एवं क्रेता के बीच अन्य किसी प्रचलित या पूर्व में निष्पादित करारनामे अथवा भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले करारनामे के अंर्तगत संघ के पास उपलब्ध हो, से भी वसूली योग्य होगी। उपरोक्तानुसार बकाया राशि की पूर्ण वसूली न होने

पर ऐसी बकाया राशि भू–राजस्व की बकाया के बतौर वसूली योग्य होगी, साथ ही राशि वसूली हेतु अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी

(II) **यदि** संघ को देय पूर्व की कोई भी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो इसे इस करारनामें का विशिष्ट उल्लंघन माना जाएगा, जिसके कारण यह करारनामा समाप्त किया जा सकेगा और क्रेता को 3 वर्ष की कालावधि तक के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा एवं क्रेता करारनामे की शर्त 14 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

8. करों का भुगतान –

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों एवं यथा स्थिति करों पर अधिरोपित कोई भी ब्याज/दण्ड ब्याज/शास्ति सहित का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(II) क्रेता मध्यप्रदेश विक्रय कर अधिनियम, उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार माल एवं सेवा कर एवं अन्य करों का भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय मे देय **या** RTGS / NEFT / Electronic Cash Transfer द्वारा संबंधित जिला यूनियन के परिशिष्ट–VI में दर्शित करों की राशि के प्रयोजन हेतु विहित बैंक खाते में करेगा ।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट या RTGS/NEFT / Electronic Cash Transfer के रूप में परिशिष्ट–VI में दर्शित करों की राशि के प्रयोजन हेतु विहित बैंक खाते में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय तेन्दूपत्ते के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो ।

(IV) क्रेता के द्वारा संघ के गोदामों पर देय किराये की राशि पर देय सेवा शुल्क का भी भुगतान किया जावेगा ।

9. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना–

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को तेंदूपत्तों के परिदान के पश्चात् मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 के अंर्तगत प्रावधानित प्ररूप "ठ" में उसका विक्रय प्रमाण– पत्र प्रदान करेगा ।

10. करारनामे का अनुपालन–

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/ परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

11. प्रतिभूति निक्षेप–

(I) क्रेता, अधिनियम तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं इनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रु.................................. की राशि जो कि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है, इसमें से रु.............................की राशि बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट **या** *इलेक्ट्रानिक कैश*

ट्रांस्फर के रूप में *एंव इसके अतिरिक्त* `...............................की राशि निम्नानुसार बैक गारंटी (Bank Guarantee) *अथवा सावधि जमा रसीद (FDR)* के रूप में जमा की गई है ।

अ.क्र.	बैक गारंटी *अथवा सावधि जमा रसीद* ***(FDR)*** *का* क्रमांक / **UTR No/** दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा	वैधता दिनांक	राशि

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू–राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी एवं बकाया राशि की वसूली हेतु शर्त क्रमांक 7 के अनुसार कार्यवाही के साथ ही क्रेता के विरुद्ध अन्य विधि सम्मत कार्यवाही भी की जावेगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या इसमें से अवशेष राशि *बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर द्वारा जमा राशि* (बैक गारंटी (Bank Guarantee) *सावधि जमा रसीद* (FDR) को छोड़कर) जैसी भी स्थिति हो, प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् उस सीमा तक अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी, जिस सीमा तक समायोजन के उपरांत बैक गारंटी (Bank Guarantee) *सावधि जमा रसीद (FDR)* के रूप में जमा प्रतिभूति की राशि, यदि कोई हो, सहित कुल अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की राशि 5% से कम न हो। संग्रहण केन्द्र से परिदान लेने की स्थिति में भी उपरोक्तानुसार राशि रोकते हुये प्रतिभूति निक्षेप में से अवशेष राशि क्रेता के विरूद्ध वास्तविक संग्रहण के आधार पर देय राशि, यदि कोई हो, के विरूद्ध समायोजित की जावेगी। लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक समस्त संग्रहित की गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा। उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा। लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा।

(V) उपरोक्त उप कंडिका (IV) में दर्शाए समायोजन के उपरांत अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् क्रेता को वापस लौटा दी जावेगी । ऐसी राशि की वापसी क्रेता द्वारा तेंदूपत्ते की सम्पूर्ण मात्रा का परिदान प्राप्त करने के उपरांत ही की जाऐगी ।

(VI) इस कंडिका के प्रयोजन हेतु बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर/ बैक गारंटी (Bank Guarantee) *अथवा सावधि जमा रसीद (FDR)* क्रेता द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष/संबंधित जिला यूनियन के संग्रहण बैंक खाते, में जारी/जमा किया जावेगा। बैक गारंटी /सावधी जमा रसीद करार अवधि समाप्ति के **छ माह** उपरांत तक वैध होगी। बैक गारंटी (Bank Guarantee) /सावधि जमा रसीद **(FDR)** की पुष्टि संबंधित बैंक द्वारा की जावेगी।

(VII) इस कंडिका के प्रयोजन हेतु बैंक गारंटी निविदा सूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट (V) में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत की जाऐगी ।

12. अधिनियम का उल्लंघन आदि –

क्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि वह स्वतः एवं उसके प्राधिकृत/नियोजित किए गए प्रतिनिधि म.प्र. में प्रचलित सभी अधिनियमों एवं नियमावली का पालन करेगें । क्रेता अथवा उसके नियोजित व्यक्ति द्वारा इन अधिनियमों/नियमावलियों के उल्लंघन किए जाने की अवस्था में सम्बंधित अधिनियमों/नियमावलियों के अंतर्गत की जाने वाली दण्डनीय कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबंध संचालक, संघ क्रेता का करारनामा समाप्त किए जाने की कार्यवाही भी कर सकेंगे ।

13. शास्तियां–

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रु 2000/– (दो हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा । यदि शास्ति की राशि रु 1000/– (एक हजार) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

14. क्रेता के करारनामे की समाप्ति–

(I) यदि क्रेता उप–कंडिका 6(अ)(II) के अनुसार देय राशि 15.06.2026 के पूर्व अथवा गोदाम से परिदान लेने की स्थिति में प्रथम दो किश्तें तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम तीन वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा ।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक या ई–मेल द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :–
(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु परिदान नहीं लिया गया हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने ।

(स)(एक) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 14(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने, ऐसी हानि गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 14(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी। यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/नीलाम में नहीं हो पाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यदि पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :— संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने एवं बकाया राशि की वसूली हेतु शर्त क्रमांक 7 के अनुसार वसूली की कार्यवाही करने के साथ ही क्रेता के विरुद्ध अन्य विधि सम्मत कार्यवाही भी की जावेगी ।

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट/लाटों (जो प्रयुक्त न हो उसे काट दे) के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय भी क्रेता से वसूल किये जावेंगे ।
(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो, भी क्रेता से वसूल किये जावेंगे ।

(IV)(अ) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, विलंबित राशि पर 0.04% प्रति दिन की दर से ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रु **10000**/— प्रति लाट एवं इस पर देय कर की दर से पुनर्जीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है एवं यदि 5 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप की राशि के विरुद्ध बैक गारंटी (Bank Guarantee) */सावधि जमा रसीद **(FDR)** प्रस्तुत की गई है, तो* इनका नगदीकरण कराकर राशि संघ खाते में जमा होने के उपरांत ही, संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुनर्जीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेंदूपत्ते के अपरिदत्त स्टाक का उसे परिदान कर दिया जाएगा। क्रेता को परिदान प्राप्त करने से पूर्व कंडिका—6(इ) में दर्शाये अनुसार गोदाम किराये का भुगतान, यदि पुनर्जीवित करार की अवधि करार अवधि की समाप्ति की मूल तिथि के आगे तक बढ़ती है तो, अग्रिम में करना होगा।

(ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 14(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो न्यूनतम प्रथम किश्त जमा करने के उपरान्त क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक, यदि चाहें तो, स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्त की तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि समस्त देय कर, उपकर तथा अधिरोपित शास्तियों की राशि, पर 0.050% प्रतिदिन की दर से ब्याज एवं ` *10000/—* प्रति लाट **एवं** *इस पर देय कर सहित* पुर्नजीवन शुल्क देना होगा एवं यदि 5 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप की राशि के विरुद्ध बैक गारंटी (Bank Guarantee) */सावधि जमा रसीद **(FDR)** प्रस्तुत की गई है, तो* इनका नगदीकरण कराकर राशि संघ खाते में जमा होने के उपरांत ही लाट के पुर्नजीवन पर विचार किया जा सकेगा । पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां तथा परिदान अवधि प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे।

(V) जब भी करार को पुनजीर्वित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी ।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रु 10000/— एवं इस पर देय कर प्रति लाट की दर से अवधि वृद्धि शुल्क तथा गोदाम किराये के रुप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रु 9/— प्रति वास्तविक बोरा की दर से राशि आदि विशेष रुप से सम्मिलित होंगे,

का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है, तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे ।

15. **लेखाओं का रख रखाव –**

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाए ।

16. **क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन –**

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

17. **तेंदूपत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना–**

क्रेता तेंदूपत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा ।

18. **स्टाम्प शुल्क का भुगतान–**

मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

19. **प्रथम प्रभार–**

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेंदूपत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) क्रेता तेंदूपत्तों का व्यापारी या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

20. **न्यायालय की अधिकारिता–**

इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, मध्यप्रदेश न्यायालयों की अधिकारिता के अध्यधीन होगा ।

जिसके साक्ष्य में, इसमें ऊपर लिखित दिनांक तथा सन् को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और ऊपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

करारनामा पर निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगणः–

1. ....
(हस्ताक्षर) — मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी और से
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर) — मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक
नाम एवं डाक का पूरा पता — ....वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः–

साक्षीगणः–

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता / क्रेताओं के हस्ताक्षर
नाम–...
डाक का पता–..

ANNEXURE – V

(Annexure to Tender Notice No. T.P. (2026)-I dated 05.12.2025)

Form of Bank guarantee to be submitted against 05% of the Security Deposit

DEED OF BANK GUARANTEE

(Condition 9 of Tender Notice)

In consideration of the Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trade & Development) Co-operative Federation Limited, Van-Bhawan, Main Road No. 2, Bhopal (hereinafter called the 'Federation'), acting through its Managing Director and/or Managing Director of its District Union hereinafter called the Managing Director, Federation, which expression shall, where the context so admits, include its successors in office), having agreed to exempt Messers/ Shri/Smt/Ku ....… S/o/D/o/W/o……………………….………Office/Residence at……... Village/Town ………………… Police Station …………………. PIN ………………… District of ……………….. State……………….……… (hereinafter called the 'Purchaser or Kreta', which expression shall, where the context so admits, include his/her heirs, executors, administrators and representatives) from immediate full payment of Security Deposit against the Tendu leaves Lot(s) purchased by him/her to the extent of ` …………….... (` ……………………………… only) in cash (hereinafter called the said amount) and accept in lieu thereof Bank Guarantee from the purchaser under the terms and conditions contained in the Tender Notice No. T.P.(2026) …… Dated ……………… (hereinafter called the Tender Notice) and the Terms and Conditions of Tender and Instructions for Tenderers contained in Annexure-I of Tender Notice and Purchaser appointment order No .... dated .... for executing Purchaser's Agreement in Annexure-IV (hereinafter called Purchaser's Agreement) and for payment of the Security Deposit by him/her in accordance with and for fulfillment of the terms and conditions contained in the said Tender Notice and the said Purchaser's Agreement.

2. We …………………….......(Hereinafter referred to as Bank which expression)
(Indicate the name of Bank)
do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur and merely on a demand from the Managing Director, Federation stating that the amount claimed is due by way of purchase price of the lot(s) purchased by the purchaser and/or any amount recoverable from purchaser as per the terms and conditions contained in the said tender notice and purchaser agreement and /or loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Federation by reason of breach by the said purchaser of any of the terms or conditions contained in the said Tender Notice/Purchaser's Agreement or by reason of purchaser's failure to perform the said Purchaser's Agreement or non observance of any conditions of Tender Notice. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and shall be payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding (in figures) `. ……...............................…… (in words) `.……………………..…………. only.

3. We ……………..…...… undertake to pay to the Managing Director, Federation any
(Indicate the name of Bank)
money so demanded, notwithstanding any dispute or disputes raised by the the purchaser in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, our liability under this present guarantee being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the purchaser shall have no claim against us for making such payment.

4. We ……………………..... further agree that the Guarantee herein contained shall
(Indicate the name of Bank)
remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Purchase's Agreement and observance of terms and conditions of Tender Notice and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Federation under or by virtue of the conditions of the said Tender Notice and Purchaser's Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the Managing Director, Federation certifies that the terms and conditions of the said Tender Notice and Purchaser's Agreement executed by the said purchaser in favour of the Chief Conservator of Forests …………………………………… circle have been fully and properly carried out by the Purchaser and accordingly discharges this guarantee. Unless demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before ……………(date)……………. (month) …………… (Year), we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We ………………………….. further agree with the Managing Director, Federation/
(Indicate the name of Bank)
Chief Conservator of Forests .... Circle..................... Managing Director, District Union……..............………. that the Managing Director, Federation/Chief Conservator of Forests ……………Circle/ Managing Director, District Union--------------- shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Tender Notice and Purchaser’s Agreement executed by the purchaser or to extend time for performance by the said purchaser from time to time or to postpone for any time or from time to time exercise of any power exercisable by the Managing Director, Federation/ Chief Conservator of Forests .... Circle/ Managing Director, District Union…………….. against the said purchaser and to forebear to enforce any of the terms and conditions relating to the said Tender Notice and Purchaser's Agreement, and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said purchaser or for any forbearance act or omission on the part of the Managing Director, Federation/ Chief Conservator of Forest ……… …………………… Circle/Managing Director, District Union ………….. or any indulgence shown by the Managing Director, Federation/ Chief Conservator of Forests …………… Circle/ Managing Director, District Union ……….. to the said purchaser of any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the said purchaser.

7. We, ……………………… lastly undertake not to revoke this guarantee during its
(indicate the name of Bank)
currency except with the previous consent of the Managing Director, Federation/Chief Conservator of Forest …………Circle/Managing Director, District Union ……………. in writing. Dated the ……………. Day of ……………… (month) ………………….(Year)

(Signature of the Authority
Issuing Bank Guarantee)
(Indicate the name of Bank)
Name
……………………………….
Designation ……………
(Seal of Bank)

Seal of the Bank

N.B.: Simultaneously with the issuing of this Bank guarantee the Bank has sent separately vide Register A.D. letter No. ……………… dated …………………… intimation to the Managing Director, District Forest Produce Co-operative Union Ltd. And Division forest officer ………….. ………….. Division in the form prescribed (sample form enclosed with tender notice) by the Federation that this Bank Guarantee be treated as genuine, for the purpose of the purchaser's agreement

(Signature of the Authority
Issuing Bank Guarantee)
(Indicate the name of Bank)
Name ……………………………….
Designation ………………
(Seal of Bank)

REGISTERED A.D.

Sample form enclosed with Annexure-V of Tender Notice

Office of the Branch Manager
……………………………….. Branch
……………………..…………..Bank
…………………………….…..(Floor)
………………………………...(Place)
………………………………...(District)
………………………………...(State)

To,

The Managing Director
District Forest Co-operative Union Ltd. …………………. and
Divisional Forest Officer
……………………………….. Division
……………………………….. M.P.

Sub:- Issue of Bank guarantee in your favour on account of M/S/Shri/Smt/Ku .... ………………………….........S/o/W/o/D/o …………………………… Office/Residence at………………………………… Village/Town ………………… Police Station …………………. PIN ……….. (State) ………………… for `………................ (`…..............……… ………… only).

-0-

Dear Sir,

I beg to inform you that a Bank Guarantee bearing No …………………….. dated ……………for `. …………………… (` ……...........……….......………………only), has been issued by this Bank, in your favour on account of M/s/Shri/Smt./Ku. ……………........……………. S/o/W/o/D/o …………………………… Office/Residence at………………………………… Village/Town ………………… Police Station ………………… PIN ……….. (State) ……………………………….……… for the purpose of guaranteeing the payment of purchase price of Tendu leaves lot(s) purchased by the said M/s/Shri /Smt/Ku …………………………………

2. The aforesaid Bank Guarantee has been issued as required under the terms and conditions of the Tender Notice issued vide Notification No. …………………… dated ………………… by the M.P. State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative of the Tender Notice and shall be valid upto ……………...................(date) ……………… (month) ………………………. (year).

3. The Bank Guarantee has been drawn in the format prescribed as Annexure – V by the Federation in the said tender notice and bears the official seal of the Bank. It has been signed by the issuing authority of the Bank and we confirm the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

Dated: (Signature of Branch Manager)
(Seal of Bank)

Annexure – VI

परिशिष्ट–VI

Notification No. TP(2026)-I Dated : 05.12.2025

Bank Details

(जिला यूनियन कार्यालय में इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर (**NEFT/RTGS/Net Banking**) के माध्यम से राशि जमा करने हेतु खातों की जानकारी)

क्र.	जिला यूनियन	किश्त, गोदाम किराया, अन्य शुल्क एवं ब्याज आदि जमा करने हेतु बैंक खाता			केवल माल एवं सेवा कर (GST) एवं आयकर (TCS) जमा करने हेतु बैंक खाता		
		बैंक का नाम	IFSC	खाता क्रमांक	बैंक का नाम	IFSC	खाता क्रमांक
1	N.BALAGHAT	ICICI Bank	ICIC0001857	185705500282	Axis Bank,	UTIB0001170	919020040049479
2	S.BALAGHAT	ICICI Bank	ICIC0001857	185705500345	Axis Bank,	UTIB0001170	916010027551249
3	BHOPAL	ICICI Bank	ICIC0001189	118905500409	ICICI Bank,	ICIC0001189	119301000522
4	O'GANJ	CBI	CBIN0281021	1925249201	C.B.I.,	CBINO281021	1925249198
5	RAJGARH	ICICI Bank	ICIC0000766	076605500157	SBI,	SBIN0030004	53034200316
6	RAISEN	ICICI Bank	ICIC0000947	094705500245	SBI,	SBIN0030232	53018083134
7	SEHORE	HDFC Bank	HDFC0001776	50200054559949	Kotak Mahendra, Bank	KKBK0005923	6013299806
8	VIDISHA	PNB	PUNB0088700	0887002100019233	SBI,	SBIN0030075	63017939828
9	N.BETUL	ICICI Bank	ICIC0000943	259105500064	Kotak Mahendra, Bank	KKBK0005944	4145365994
10	S.BETUL	ICICI Bank	ICIC0000943	042705500216	IDBI	IBKL0001553	1553104000039561
11	W.BETUL	ICICI Bank	ICIC0000943	259105500063	SBI,	SBIN0030236	63016638437
12	E.CHHINDWADA	ICICI Bank	ICIC0000511	051105500349	Axis Bank,	UTIB0000670	916010051235889
13	S.CHHINDWADA	ICICI Bank	ICIC0000511	051105500348	SBI,	SBIN0005940	63024943199
14	W.CHHINDWADA	ICICI Bank	ICIC0000511	051105500347	SBI,	SBIN0005940	63024943495
15	CHHATARPUR	ICICI Bank	ICIC0000426	042605500315	HDFC, Bank	HDFC0001770	50200003298091
16	N.PANNA	ICICI Bank	ICIC0002597	259705500129	Axis Bank,	UTIB0002882	920010065085725
17	S.PANNA	ICICI Bank	ICIC0002597	259705500128	ICICI Bank,	ICIC0002597	259701000640
18	TIKAMGARH	ICICI Bank	ICIC0001450	145005500450	HDFC, Bank	HDFC0001781	17811450003284
19	GWALIOR	ICICI Bank	ICIC0000197	019705500899	SBI,	SBIN0030258	63016208732

20	MORENA	CBI	CBIN0280781	1342102202	SBI,	SBIN0000430	31592458409
21	SHEOPUR	ICICI Bank	ICIC0001448	144805500137	SBI,	SBIN0030089	63016861613
22	HARDA	ICICI Bank	ICIC0000761	042705500217	SBI,	SBIN0030225	53024963109
23	H'BAD	ICICI Bank	ICIC0000381	038105500192	SBI,	SBIN0030226	63016631634
24	ALIRAJPUR	HDFC Bank	HDFC0002107	50100391840671	SBI,	SBIN0030047	31767233625
25	DHAR	ICICI Bank	ICIC0000512	051205500116	SBI,	SBIN0003417	63001608022
26	INDORE	ICICI Bank	ICIC0000916	091605500645	SBI,	SBIN0030359	63017773452
27	JHABUA	SBI,	SBIN0030241	53031692729	SBI,	SBIN0030241	63017764506
28	DINDORI	SBI,	SBIN0030452	53051425012	SBI,	SBIN0030452	63046069405
29	E.MANDLA	ICICI Bank	ICIC0001443	144305003665	Bank of Maharashtra,	MAHB0000788	20222024703
30	JABALPUR	ICICI Bank	ICIC0003497	734505500001	P.N.B,	PUNB0021800	0218000100868844
31	KATNI	ICICI Bank	ICIC0000763	076305500321	Axis Bank,	UTIB00000317	916010037455429
32	W.MANDLA	ICICI Bank	ICIC0001443	144305500154	HDFC Bank,	HDFC0002713	50100255600803
33	BADWAHA	ICICI Bank	ICIC0002823	094405500250	SBI,	SBIN0030029	53028183079
34	BADWANI	ICICI Bank	ICIC0000490	051205500117	SBI,	SBIN0030030	63017730917
35	BURHANPUR	PNB	PUNB0007400	0074000100180775	ICICI,	ICIC0006566	656605601564
36	KHANDWA	ICICI Bank	ICIC0000944	094405500249	SBI,	SBIN0030102	63017754917
37	KHARGONE	ICICI Bank	ICIC0000867	086705500425	SBI,	SBIN0030027	63016802862
38	SENDHWA	ICICI Bank	ICIC0006583	658301700155	SBI,	SBIN0030032	53022306009
39	E.SIDHI (Singroli)	ICICI Bank	ICIC0001390	139005000852	PNB,	PUNB0660330	6603000100067131
40	REWA	ICICI Bank	ICIC0000937	094805003577	IDBI	IBKL0000423	0423102000015978
41	SATNA	ICICI Bank	ICIC0000432	043205003012	IDBI Bank,	IBKL0000422	0422104000236461
42	W.SIDHI	ICICI Bank	ICIC0000513	051305001618	HDFC Bank,	HDFC0001779	50100087789081
43	ANUPPUR	CBI	CBIN0281970	2238299584	C.B. I.,	CBIN0281970	2238298138
44	N.SHAHDOL	HDFC Bank	HDFC0001778	50100388535506	HDFC Bank	HDFC0001778	17781450000021
45	S.SHAHDOL	HDFC Bank	HDFC0001778	50100388535101	C.B. I.,	CBIN0280787	1424254152
46	UMARIA	HDFC Bank	HDFC00004136	50100176362325	SBI,	SBIN0012192	63017967108

47	NARSINGHPUR	**ICICI Bank**	ICIC0000764	076405500212	**IDBI Bank,**	IBKL0001558	1558104000070586
48	N.SEONI	**ICICI Bank**	ICIC0000993	099305500133	**HDFC Bank,**	HDFC0001777	17771450000030
49	S.SEONI	**ICICI Bank**	ICIC0000993	099305500134	**IDBI Bank,**	IBKL0001561	1561104000038508
50	DAMOH	**ICICI Bank**	ICIC0000758	075805500188	**Axis Bank,**	UTIB0000770	920020072372390
51	N.SAGAR	**ICICI Bank**	ICIC0000949	094905500518	**SBI,**	SBIN0030179	63016274750
52	S.SAGAR	**ICICI Bank**	ICIC0000949	094905500519	**Axis Bank,**	UTIB0000612	920010039134266
53	ASHOK NAGAR	**HDFC Bank**	HDFC0001944	50100392887650	**SBI,**	SBIN0030082	53023367211
54	GUNA	**HDFC Bank**	HDFC0000911	50100385221200	**HDFC. Bank**	HDFC0000911	50100163379387
55	SHIVPURI	**HDFC Bank**	HDFC0000907	50200054539754	**SBI,**	SBIN0030086	53037050693
56	DEWAS	**ICICI Bank**	ICIC0000759	075905003276	**SBI,**	SBIN0030007	63017740336
57	NEEMUCH	**ICICI Bank**	ICIC0000765	076505500388	**SBI,**	SBIN0030055	63016811822
58	RATLAM	**ICICI Bank**	ICIC0006582	658205500134	**SBI,**	SBIN0030051	63017732392
59	SHAJAPUR	**HDFC Bank**	HDFC0004784	50100384370767	**SBI,**	SBIN0030067	63016559270
60	UJJAIN	**ICICI Bank**	ICIC0002541	254105500135	**SBI,**	SBIN0030108	63017794122

* उपरोक्त जिला यूनियनों के बैंक खाता की पुष्टि संबंधित जिला यूनियन कार्यालय से करने के पश्चात राशि हस्तांतरित करें ।

Annexure – VII
(परिशिष्ट–VII)

Notification No. TP(2026)-I Dated 05.12.2025

(Fill whichever is applicable cheque / DD or RTGS / NEFT / Net Banking)

जिला यूनियन कार्यालय में जमा राशि के समायोजन हेतु आवेदन

प्रति,

प्रबंध संचालक,
जिला लघु वनोपज यूनियन,
.... (म.प्र.)

PTN							

विषय :–संग्रहण वर्ष .... के लाट क्रमांक .... समिति का नाम .... की RTGS/NEFT / Net Banking के माध्यम से राशि जमा (Payment) करने बाबत् ।

महोदय,

निवेदन है, कि दिनांक .... की निविदा /नीलाम/ऑफर में संग्रहण वर्ष .... के निम्न लाट/लाटों की देय किश्त/किश्तों/ब्याज/गोदाम किराया/ सत्यंकार की राशि/आयकर (TCS)/माल एवं सेवा कर (GST)/ आदि हेतु राशि `................................ संघ के निम्न खाते में दिनांक .... को RTGS / NEFT / Net Banking .के माध्यम से Transfer की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

जिला यूनियन के बैंक का नाम.. A/c. No ....
(परिशिष्ट–VI अनुसार)

हमारे बैंक का नाम...A/c. No ....

क्रमांक	जिला यूनियन	लाट क्रमांक	जमा की गई राशि	UTR No	विवरण
		योग			

उपरोक्त जमा राशि के संबंध में नियमानुसार परिदान देने का कष्ट करें ।

संलग्न :– Bank Advice (Bank Slip)

दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
पत्राचार का पूर्ण पता ....
....
....
दूरभाष क्रमांक ....
E-mail : ....

''अथवा''

PTN							

प्रति,

प्रबंध संचालक,
जिला लघु वनोपज यूनियन,
.... (म.प्र.)

विषय :–संग्रहण वर्ष .... के लाट कमांक .... समिति का नाम .... की Bank Draft / Demand Draft/ Banker's Cheque के माध्यम से **राशि जमा** (Payment) करने बाबत् ।

महोदय,

निवेदन है, कि मै/हम संग्रहण वर्ष ....के निम्न लाट/लाटों की देय किश्त/किश्तों/ ब्याज/गोदाम किराया/आयकर (TCS)/माल एवं सेवा कर (GST)/ आदि हेतु निम्नानुसार राशि जमा कर रहें हैं :–

कमांक	लाट कमांक	राशि	विवरण
	योग		

संलग्न Bank Draft/ Bankers Cheque का विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	राशि	**Bank Draft/ Demand Draft Bankers Cheque No.**	दिनांक	बैंक का नाम व शाखा
योग				

उपरोक्त जमा राशि के संबंध में Money Recerip्t जारी कर नियमानुसार परिदान देने का कष्ट करें ।

संलग्न :– Demand Draft /Bankers Cheque

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :–

नाम ....
पत्राचार का पूर्ण पता ....
....
दूरभाष कमांक ....
E-mail : ....

Annexure - VIII

(परिशिष्ट–VIII)

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2026)–I   दिनांक 05.12.2025 का परिशिष्ट)

गोदाम किराये का त्रि–पक्षीय करारनामा

[क्रेता का करारनामा की शर्त क्रमांक 6(ब)]

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्..................को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित..............., (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उनके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री...आत्मज ....निवासी.............................ग्राम............और जो (1) श्री...(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7–1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो), तथा तृतीय पक्ष के श्री...आत्मज ....निवासी.............................ग्राम............और जो (1) श्री...(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ .... स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7–1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् गोदाम मालिक के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि क्रेता, क्रेता करारनामा (परिशिष्ट– IV) की शर्त क्रमांक– 6 (ब) में दर्शाये अनुसार क्रेता के द्वारा संग्रहण वर्ष............ के लाट क्रमांक............ की देय राशि को किश्तों में पटाने की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से पत्ते को तृतीय पक्षकार के .... स्थित गोदाम में क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में रखने के लिये इच्छा व्यक्ति की है, तृतीय पक्षकार द्वारा गोदाम के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में (अभिलेख का नाम) प्रस्तुत किया गया है तथा गोदाम द्वितीय पक्षकार को तेन्दूपत्ता रखने के लिये किराये पर देने पर सहमति दी है तथा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा पत्ते को इस गोदाम में रखने की अनुमति प्रदान की गई है । यहाँ गोदाम से आशय एक भवन से है, एक से अधिक भवनों की स्थिति में प्रत्येक भवन हेतु पृथक–पृथक गोदाम किराये का करारनामा निष्पादित करना होगा ।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :–

1. **क्रेता करारनामा की अवधि–**

   यह करार दिनांक 01.05.2026 से प्रारम्भ होगा और जिस त्रैमास तक लाट का पूर्ण तेन्दू पत्ता गोदाम से क्रेता (अन्य क्रेता सहित) के द्वारा निकाल नहीं लिया जाता या दिनांक 31.12.2026 में जो भी पूर्व हो तक प्रवृत्त रहेगा । दिनांक 31.12.2026 तक गोदाम में तेन्दू पत्ता शेष रहने की स्थिति में करार अवधि में तीन–तीन माह की समयावधि वृद्धि की जा सकेगी । त्रैमास से तात्पर्य जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर तथा अक्टूबर से दिसंबर है ।

2. **करारनामे के भाग –**

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह मध्य प्रदेश. तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के समस्त परिशिष्ट इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. यह कि उक्त लाट के तेन्दूपत्ते के भण्डारण हेतु द्वितीय पक्षकार तृतीय पक्षकार को `. (अंको में) ....(शब्दों में)... का त्रैमासिक किराया प्रत्येक त्रैमास से पूर्व राशि प्राप्ति **रसीद प्राप्त कर** अग्रिम में भुगतान करेगा तथा इसके उपरान्त ही तेन्दूपत्ते की गोदाम से निकासी कर सकेगा । **जून 2026** तक का गोदाम किराया द्वितीय पक्षकार द्वारा रु (अंको में)................ (शब्दों में) .... अग्रिम में तृतीय पक्षकार को भुगतान कर दिया गया है । गोदाम किराये के भुगतान का कोई भी दायित्व प्रथम पक्षकार का नहीं होगा ।
4. यह कि यदि पक्षकार कमांक–2 को विक्रित उक्त लाट का केता करारनामा मुख्य वन संरक्षक के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो भंण्डारित तेन्दूपत्ता पूर्णतया प्रथम पक्ष के अधिकार में आ जायेगा और इस पर द्वितीय पक्ष के सभी अधिकार समाप्त हो जावेगें । भण्डारित तेन्दूपत्ते का स्वामित्व लघु वनोपज संघ/शासन के पास होने के उपरांत भी जब तक कि गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते का विकय किसी अन्य केता को नहीं कर दिया जाता तथा अन्य केता के द्वारा गोदाम से पूर्ण तेन्दूपत्ता निकाल नहीं लिया जाता, तब तक किराये की राशि का भुगतान द्वितीय पक्षकार तृतीय पक्षकार को अनिवार्य रूप से करता रहेगा तथा पक्षकार कमांक–1 का अथवा उक्त लाट के अन्य केता का गोदाम किराये के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा । अन्य केता के नियुक्त होने पर गोदाम खाली होने पर गोदाम के रिक्त होने की सूचना प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को दी जावेगी ।
5. यह कि पक्षकार कमांक–3 द्वारा गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते के भण्डारण एवं निकासी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा । अन्य केता नियुक्त होने की स्थिति में किराये के भुगतान में द्वितीय तथा तृतीय पक्षकारों में विवाद होने पर भी या तीनों पक्षकारों में किसी अन्य विवाद के होने पर द्वितीय तथा तृतीय पक्षकार अन्य केता या प्रथम पक्षकार के साथ गोदाम में भण्डारित पत्ते पर नियंत्रण अथवा पत्ते की निकासी में भी कोई विवाद/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे । तृतीय पक्षकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार को तथा अन्य केता को गोदाम तक पहुंचने की निर्बाध सुविधा प्रत्येक दिवस प्रातः 5.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक उपलब्ध कराई जावेगी, भले ही गोदाम तृतीय पक्षकार के किसी ऐसे परिसर में स्थित हों, जिसको कि तृतीय पक्षकार द्वारा अन्य ताले से बंद किये जाने से इस गोदाम तक पहुंचना संभव नहीं होता है ।
6. तेन्दू पत्ता के भण्डारण को सुरक्षित रखने के लिए अगर प्रथम पक्षकार गोदाम में मरम्मत एवं रख–रखाव की आवश्यकता महसूस करता है तो वह तृतीय पक्षकार को ऐसी मरम्मत एव रख–रखाव निश्चित समयावधि में करने के लिए निर्देश दे सकेगा । विहित समयावधि में तृतीय पक्षकार द्वारा मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य न कराये जाने पर, प्रथम पक्षकार स्वयं यह कार्य करा सकेगा तथा ऐसे कार्य कराये जाने पर व्यय हुई राशि तृतीय पक्षकार को देय गोदाम किराये की राशि से वसूल कर प्रथम पक्षकार को जमा करने हेतु द्वितीय पक्षकार को निर्देशित करेगा, जो द्वितीय एवं तृतीय पक्षकारों पर बंधनकारी होगा ।
7. यदि द्वितीय एवं तृतीय पक्षकार द्वारा इस काररनामें की किसी शर्त (शर्त कमांक–8 सहित) का उल्लंघन किया जाता है, तो किसी अन्य वैधानिक कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्रथम पक्षकार द्वारा रु 50000/– तक की शास्ति प्रति उल्लंघन अधिरोपित की जा सकेगी तथा बारंबार अथवा गंभीर उल्लंघन की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा यह करारनामा समाप्त भी किया जा सकेगा एवं ऐसी समाप्ति की दशा में प्रथम पक्ष भण्डारित तेन्दूपत्ता की पूर्ण अवशेष मात्रा को अपने अधिपत्य में ले सकेगा एवं कहीं भी परिवहन/भण्डारण कर सकेगा । शास्ति अधिरोपित तथा करारनामा समाप्ति

पर द्वितीय/तृतीय पक्षकार का नाम 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में भी दर्ज किया जा सकेगा । द्वितीय/तृतीय पक्षकार को काली सूची में दर्ज किये जाने के उपरांत मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ उससे किसी प्रकार का व्यापारिक या अन्य सव्यवहार नहीं करेगा । शास्ति अधिरोपित/करारनामा समाप्त/काली सूची में दर्ज किये जाने से पूर्व प्रथम पक्षकार कारण बताओ सूचना जारी करने की तिथि से 10 दिवस की अवधि द्वितीय/तृतीय पक्षकार को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रदाय करेगा । करारनामें की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, के सम्बंध में प्रथम पक्षकार का निर्णय अंतिम तथा द्वितीय तथा तृतीय पक्षकार पर बंधनकारी होगा ।

8. कंडिका–6 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के उपरान्त द्वितीय/तृतीय पक्षकार जब तक कारण बताओ सूचना पत्र का निर्णय नहीं हो जाता तथा शास्ति प्रथम पक्षकार को भुगतान नहीं कर दी जाती तब तक द्वितीय/तृतीय पक्षकार अपनी किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सकेगें ।
9. यदि कंडिका–7 में अधिरोपित शास्ति प्रथम पक्षकार के द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि से 21 दिवस के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो प्रथम पक्षकार यह राशि द्वितीय/तृतीय पक्षकार की संघ/वन विभाग के पास उपलब्ध किसी राशि या वनोपज के विक्रय से या राजस्व के बकाया की भांति वसूली कर सकेगा ।
10. इस करार के अधीन उद्भूत होने वाले सभी विवाद मध्य प्रदेश राज्य के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे ।
11. निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार को परिदत्त किया गया :–

<u>साक्षीगण :–</u>

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

प्रबंध संचालक, जिला यूनियन...............

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः–

<u>साक्षीगण :–</u>

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर (केता)
नाम................................
डाक का पता.......................

E-mail- ....
Mobile No ....

....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

तृतीय पक्षकार के हस्ताक्षर (गोदाम मालिक)
नाम................................
डाक का पता......................

E-mail- ....
Mobile No ....

Annexure – IX

परिशिष्ट– IX

(Annexure to Tender notice No. T.P.(2026)-I dated 05.12.2025)

TENDU PATTA TENDER **2026** SEASON
(M.P.LAGHU VAUPAJ SANGH)

TENDERER WISE ALLOTMENT LIST

(Condition 7 of Tender Notice)

Tender Opening Date : …………………….

Permanent Tenderer Number	Tenderer's Name	Tenderer's Purchase Capacity/ E.M.D. (In Rs.)	Lot No.	Quantity (In Std. bags)	Sanctioned Rate per Std. Bag (In Rs.)	Total Value of Lot (Rs.)

Annexure – X
परिशिष्ट– X

(Annexure to Tender notice No. T.P.(2026)-I dated 05.12.2025)

TENDU PATTA TENDER **2026** SEASON
(M.P.LAGHU VAUPAJ SANGH)

LIST OF SUCCESSFUL TENDERERS
(Condition 7 of Tender Notice)

Tender Opening Date : …………………….

S.No.	Permanent Tenderer Number	Tenderer's Name	Deposited E.M.D. (In Rs.)	Adjusted E.M.D. in Sanctioned Lots (In Rs.)	Unadjusted E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – XI
परिशिष्ट– XI

(Annexure to Tender notice No. T.P.(2026)-I dated 05.12.2025)

TENDU PATTA TENDER **2026** SEASON
(M.P.LAGHU VAUPAJ SANGH)

LIST OF UNSUCCESSFUL TENDERERS
(Condition 7 of Tender Notice)

Tender Opening Date : …………………….

S.No.	Permanent Tenderer Number	Tenderer's Name	Deposited E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – XII
परिशिष्ट– XII

Instructions for the Submission of the Online Tender
(Condition 5(III) of Tender Notice)

Note: The following steps need to be carried out for online submission of the Tender. Detailed instructions for each of the steps are given in the Tenderer's Manual on the Home Page of https://mfpfederation.abcprocure.com**.**

1. Sequence of steps for online tender submission:

Step 1 – To obtain Digital Signature Certificate (DSC) :

The DSC is issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India. The individual may obtain information required for issuance of a Class II / Class III DSC from the Controller of Certifying Authorities *(www.cca.gov.in).* The tenderer will have to obtain DSC from https://mfpfederation.abcprocure.com or any other CCA approved agency.

DSC is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by a Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a DSC can be issued.

Important Note: The offers submitted online should be signed electronically with a DSC to establish the identity of the tenderer. In case, during the process of a particular tender, the user loses his/her DSC (eg. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the offer online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

In case of online tendering, the DSC issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to no-objection certificate / power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the DSC as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to submit tender on behalf of the firm for the Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited (M.P.M.F.P. Federation) tenders as per *Information Technology Act 2000.* The DSC of this authorized user will be binding on the firm. It shall be the responsibility of management / partners of the registered firm to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh ***'authorization certificate'*** for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a Private / Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

Step 2 – Online registration of intending tenderer:

In order to participate in the tender, the tenderer is required to be registered on the e-Procurement portal (https://mfpfederation.abcprocure.com). Only after online registration of the tenderer, the tenderer shall be allowed to participate in the tenders floated by the M.P.M.F.P. Federation using the e-Procurement System.

The following Registration Fee will be charged by the Service Provider (i.e. e-Procurement Technologies Limited) from the tenderer:

Sl. No.	Description	Charges	Service Tax @ 12.36%	Total Amount
1.	Online Registration (Valid for One Year)	NIl	NIl	NIl

Documents required for Registration with the e-Procurement portal

(I) In case of Renewal – No documents required for renewal of registration on the e-procurement portal.

(II) In case of New Registration – The following documents required alongwith online registration form:-

(a) Individual or Proprietorship Firm –

(i) **Any one ID Proof and One Address Proof** (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Scanned copy of Registration Under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 from D.F.O. of Madhya Pradesh

(b) Partnership Firm –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Scanned copy of Registration under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 from D.F.O. of Madhya Pradesh.

(iii)Partnership Deed details which have to be attested by partners with their company seal.

(c) Pvt. & Ltd. Company –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Scanned copy of Registration under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 from D.F.O. of Madhya Pradesh.

(iii)Any one of the Organization proof issued by Government (Attested by authorized signatory of Organization alongwith organization seal)

- **Certificate of Incorporation**
- **Articles of Incorporation**
- **Memorandum of Association**

(d) Hindu Undivided Family (H.U.F.) –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Scanned copy of Registration under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 from D.F.O. of Madhya Pradesh.

Scanned copy of all required documents for New registration submitted by the intending tenderer to e-Procurement Technologies Limited (abcProcure) for registering with e-Procurement portal. After verification of the documents submitted by the intending tenderer by the Service Provider registered the Tenderer and inform the the tenderer by e-mail.

After obtaining the Digital Certificate successfully installed on their system, the tenderer have to be online registered through **“New Bidder Registration”** page of the e-Procurement portal (https://mfpfederation.abcprocure.com) and mapped their Digital Certificate.

After online registration your registration will be approved by the Service Provider and intimate the same to the tenderer. The tenderer will be advised of the Tenderer's Code, login Id & password. The login Id and password will be required for online tender preparation and the Tenderer's Code will be used for making EMD payment through RTGS/NEFT mode, if opted for.

It is to be noted that online registration can be examined by the competant authority / committee as nominated / constituted by the Managing Director, M.P. State Minor Forest (T & D) Co-op. Fed. Ltd., after online registration. If during examination trader / manufacturer is found not eligible his registration will be cancelled adopting due procedure.

Step 3 – Online tender preparation

1. Filling of Tenderer's Information - Form No. 1 of Annexure – II
2. Filling of Lotwise Rate Offer - Form No. 2 of Annexure – II
3. Upload of required documents - Form No. 3 of Annexure – II
4. Acceptance of Tenderer's Agreement - Annexure – III

Step 4 – Online payment of E.M.D.

EMD can be paid online through Net-banking/Debit Cards/Credit Cards/RTGS/NEFT mode. In case, RTGS/NEFT mode is opted for, the detailed procedure is given below at point no. 2.2.

It will be solely the tenderer's choice to select any of this payment options viz. Net-banking/Debit Cards/Credit Cards/RTGS/NEFT, best suited to him. It is understood that the tenderer is aware of the payment cycle and other technical requirements/ payment process under each of these modes. It is tenderer's responsibility to see that the amount of EMD is credited to M.P.M.F.P. Federation.

Step 5 – Final submission of the tender.

2. Other Information:

2.1 Set-up of Machine:

In order to operate on the e-Procurement System, following minimum operating system and hardware is required.

- Windows XP with service pack 3
- Windows vista / windows 7
- Browser Internet Explorer 7, 8 or 9
- Minimum bandwidth 512 kbps
- Minimum RAM 2 GB

2.2 Procedure of payment of EMD through RTGS / NEFT mode :

Since RTGS / NEFT payments are settled by RBI in batches, intended EMD amount is required to be paid at least one day in advance of online tender submission by following procedure:

A. Please mention the following details while making the RTGS / NEFT payment from your Bank:

(i) Beneficiary account number – This will be in the following format:

<MPMF+ Tenderer Code>

For example, in case your Tenderer Code is ABC66215, the beneficiary account number will be **MPMFABC66215**.

(ii) Beneficiary bank branch - **ICICI Bank, CMS, Mumbai**

(iii) Beneficiary IFSC code - **ICIC0000104**

B. After completing the online tender preparation formalities, select RTGS / NEFT payment option at the EMD payment screen. Upon doing so, you shall be able to view the funds already remitted by you through NEFT / RTGS as available balance in beneficiary account. Tenderer should note that available balance against their name in ICICI Bank is not E.M.D. amount available with M.P.M.F.P. Federation.

C. Please proceed to deposit the E.M.D from available balance. Upon doing so, the required amount to be paid for the EMD, shall get appropriately deducted from the amount remitted and payment of E.M.D. shall be confirmed & receipt will be generated in real time.

D. In case there is excess remittance i.e. money not transferred for use as E.M.D., the refund of the same can be claimed by the tenderer simultaneously. On submitting refund request, the amount would be transferred in the bank account opted by you by next working day.

E. In case, tenderer wants to utilize the excess fund (i.e. the remaining available balance) for participating in next round of tender by Federation under e-Procurement portal, they may do so instead of taking refund.

Please feel free to get in touch with our e-procurement support team / ICICI Bank support team in case any clarification is required.

2.3 Submission of Online Offers:

M.P.M.F.P. Federation will not be responsible for any failure on part of the tenderer in submission of the Tender and/or the EMD etc. before scheduled time and date, for any reason whatsoever, including, inter-alia, non-credit of said amounts of EMD and therefore no claims shall be entertained on these grounds.

Under this online payment system for e-Tendering, the tenders will not be submitted/ received by M.P.M.F.P. Federation unless the EMD is received/ credited before scheduled time and date. Hence, tenderer shall remit the said amount well in advance. It is clarified that the Tenders will not be considered for opening if EMD is not received/ credited before schedule time and date, for any reason whatsoever.

Since the Federation is migrated to online tendering system for Advance sale of Tendu Leaves, the tenderer is advised to submit his/her tender as well as pay the EMD amount well before the cut-off time and date to avoid any inconvenience on account of any problem e.g. system slow down or network problem.

2.4 Helpline:

For any assistance regarding Registration on e-Procurement portal, DSC, online tender form submission and other points of e-tendering process, please contact our service provider **:-**

e-Procurement Technologies Ltd., ***Ahmedabad on following contact details***

For Registration/DSC Support/ Profile Approval-
Phone No. : **+91- 6353217080, +91-9099090830**
E-mail : info@Abcprocure.com

For e-Tender submission

Phone No. : **+91- 6352631766, 7859800621, 7859800609, 9510813528**
E-mail : Support@AbcProcure.com

For E-payment related queries
E-mail : payment@eptl.in (With relevant Scren Shot & details)

For any assistance regarding banking transactions, please contact ICICI Bank, New Market, Bhopal at the following number: Mr. kashish Bammankar 08655758294
E-mail ID : kashish.bammankar@icicibank.com

(Dr Sameeta Rajora)
MANAGING DIRECTOR
M.P. State Minor Forest Produce
(Trading & Development) Co-op.
Federation Limited,
Bhopal

Time Schedule

Annexure – XIII
परिशिष्ट– XIII

(Annexure to Tender Notice No. T.P. (2026)-I dated 05.12.2025)

Tender Details for Tendu Patta Season 2026
(Condition 5(III) of Tender Notice)

Tender Detail	
General Detail	
Tender Id :	**System Generated**
Tender No :	**T.P. (2026)-I Dated 05.12.2025**
Department Name :	Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited
Scope of work :	Advance Sale of Tendu Leaves of Collection Season 2026 (Open for those who are registered in Divisional Forest Office under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964)
Tender Details :	Advance Sale of Tendu Leaves of Collection Season 2026 (Open for those who are registered in Divisional Forest Office under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964)
Mode of Tender Submission :	Online
Tender Type :	Open
Type of Contract :	Advance Sale of Tendu Leaves
Bidding Type :	National
Consortium :	Not Allowed
Download Tender Documents :	Before Login / After Login
Purchaser Location :	Any where in India
Key Dates	
Document Download Start Date & Time :	05.01.2026, 02.02.2026 & 23.02.2026 from 10:00:00
Document Download End Date & Time :	09.01.2026, 06.02.2026 & 27.02.2026 upto 15:00:00

Last Date & Time of online Bid Submission :	09.01.2026, 06.02.2026 & 27.02.2026 upto 15:00:00
Date & Time of Bid opening :	09.01.2026, 06.02.2026 & 27.02.2026 from 15:30:00 onwards
Bid Validity Period (Days) :	Till the decision of tender
Project Duration :	As per tender document
Document to be submitted Physically :	NIL
Tender Activity configuration	
Mode of EMD payment :	**Online**
Payment Details	
EMD Amount :	As per tender document
Details	
Eligibility Criteria :	As per tender document
General Terms and condition :	As per tender document
Other Details :	As per tender document
Product/Service/Works Keywords :	Advance Sale of 2026 Season Tendu Leaves

Annexure-XIV

परिशिष्ट– XIV

(Annexure to Tender notice No. T.P.(2026)-I dated 05.12.2025)

घोषणा पत्र

मै/हम/मेसर्स .... आत्मज/आत्मजा .... उम्र ....रहवासी .... जिला....................................... राज्य .... द्वारा घोषित किया जाता है, कि मै/हम/मेसर्स ...., मध्य प्रदेश शासन वन विभाग तथा संघ का बकायादार नहीं है । यदि मेरी/हमारी कोई बकाया राशि निकलती है, तो उसके लिये मै जिम्मेदार हूँ और संघ ऐसी किसी भी बकाया राशि को इस निविदा में मेरे द्वारा जमा सत्यंकार की राशि एवं मेरी पूर्व की संघ में जमा अन्य राशि से वसूल की जाये ।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मैं / हम / मेसर्स .... मध्य प्रदेश शासन वन विभाग तथा संघ की काली सूची में दर्ज नहीं हूँ/हैं जो निविदा जमा करने की तिथि को प्रचलित अथवा लागू है।

हस्ताक्षर

दिनांक

मालिक/अधिकृत के हस्ताक्षर
(मुद्रांक के साथ)